



ऐतिहासिक इण्डिया गेट, दिल्ली



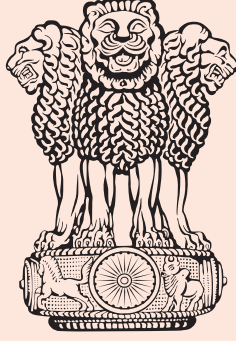
कालिंदी

वार्षिक गृह-पत्रिका

तृतीय अंक: 2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
आठवां व नवां तल, सीएजी एनेक्सी भवन, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002





सत्यमेव जयते

कालिंदी

वार्षिक गृह-पत्रिका
तृतीय अंक: 2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
आठवां व नवां तल, सीएजी एनेक्सी भवन,
10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

मूल्य:

राजभाषा के प्रति निष्ठा

पत्रिका-परिवार

संरक्षक

श्री संदीप लाल, महानिदेशक

परामर्शदाता

श्री विवेक कुमार भास्कर, निदेशक

संपादक मंडल

सुश्री जरमीना चौधरी कौल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

श्री राज कुमार तिवारी, हिंदी अधिकारी

सह-संपादक

कुमारी बबीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरु नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहारी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2024


(अमित शाह)

महानिदेशक महोदय का संदेश



प्रिय साथियों,

मुझे प्रसन्नता है कि आपकी गृह ई-पत्रिका 'कालिंदी' निरंतर प्रकाशित हो रही है। पत्रिका में प्रकाशन के लिए आपके द्वारा प्रेषित रचनाएं इस बात का द्योतक हैं कि आपके स्नेह की परिचायक बन चुकी यह पत्रिका अपनी सृजनात्मकता और रचना सौंदर्य से आपको निरंतर आकर्षित एवं प्रेरित कर रही है।

भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता का स्रोत और समाज की सांस्कृतिक पहचान की कड़ी होती है। अभी तक हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जो अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को अभिव्यक्ति देने में अत्यंत सक्षम और प्रभावशाली हैं। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इन सभी भाषाओं के माला के मध्य मणि के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया है, क्योंकि हिन्दी के भीतर भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की अभूतपूर्व शक्ति है।

विभागाध्यक्ष होने के नाते पत्रिका के निरंतर प्रकाशन हेतु सम्पादन टीम एवं सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।

20
13/09/2024

(संदीप लाल)

महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(कृषि खाद्य एवं जल संसाधन)
नई दिल्ली

निदेशक का संदेश



प्रिय कालिंदी पाठकों,

हमें गर्व हो रहा है कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हमारे कार्यालय की तरफ से हमारी हिंदी गृह-पत्रिका 'कालिंदी' अपने नए कलेवर में तीसरे अंक के लिए तैयार है। आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है।

इस कार्यालय में प्रत्येक स्तर पर राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी वर्गों द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। इस पत्रिका का प्रकाशन कर्मचारियों द्वारा हिन्दी के विकास के प्रति उनकी जागरूकता, कौशल और अर्जित ज्ञान का प्रतिबिम्ब है, जो राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में अहम भागीदारी का प्रतीक है। इस पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों ने अपने हृदय के अविरल भावों को कविता, कहानी एवं संस्मरण के माध्यम से नवीनतम एवं श्रेष्ठ रचनाओं को हम तक पहुंचाया है जो हिन्दी प्रेमियों द्वारा किये गए समेकित प्रयास, समर्पण भाव और हिन्दी के प्रति उनके लगाव को प्रतिबिम्बित करता है।

मैं हमारे कार्यालय की गृह ई-पत्रिका 'कालिंदी' के तीसरे अंक के प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सभी राजभाषा हिन्दी के विकास में निरंतर अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे।

पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अनंत शुभकामनाएं!

विवेक कुमार भास्कर

निदेशक (प्रशासन)

संपादक की कलम से...



प्रिय पाठकों,

आप सभी को हमारे कार्यालय की गृह ई-पत्रिका 'कालिंदी' का नवीन अंक सौंपते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा कार्यान्वयन, सभी सरकारी कार्यालयों का वैधानिक दायित्व है। इसी दायित्व के साथ राजभाषा के प्रचार व प्रसार में हमारा कार्यालय भी अपना योगदान दे रहा है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का कथन है कि, "हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को सर्वांग सुन्दर बनाना हमारा कर्तव्य है"। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हिन्दी भाषा और साहित्य का देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता, संवाद और सद्भाव को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माताओं ने संविधान में हिन्दी को 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था।

आप सभी जानते हैं हमारे कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कार्यालय स्तर पर हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिन्दी गृह ई-पत्रिका 'कालिंदी' का विशेष महत्व है। राजभाषा हिन्दी, भाषा-विज्ञान तथा तकनीकी दृष्टि से भी बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा को समाहित करने की शक्ति इसमें है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने और हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु बहुत से कार्य किये जा रहे हैं। आज अपनी सहजता एवं सरलता के कारण ही सभी लोग अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं गुणवत्ता आदि के लिए हिन्दी को ही अपना रहे हैं।

मैं हमारे कार्यालय की गृह ई-पत्रिका 'कालिंदी' के तीसरे अंक के प्रकाशन में सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सभी इसी तरह आगे भी राजभाषा हिन्दी के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। इस अंक में हमने कई महत्वपूर्ण और रोचक विषयों पर लेख शामिल किए हैं। हमारी टीम ने सभी लेखकों के विचारों को समेकित कर इसे पठनीय और रोचक बनाने के साथ-साथ इसे ज्ञानवर्धक बनाने का भरपूर प्रयास किया है। आशा करते हैं अन्य प्रकाशित अंकों की तरह यह अंक भी आपको पसन्द आएगा।

हमारी गृह पत्रिका को और बेहतर बनाने हेतु हमें आपके सुझावों और सहयोग की सदैव अपेक्षा रहेगी, ताकि हम इसे आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप बना सकें।

शुभकामनाओं सहित!

राज कुमार तिवारी

(राज कुमार तिवारी)

हिंदी अधिकारी

विषय-सूची

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार के नाम	पदनाम
1.	कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण और दोष	श्री विजय	लेखापरीक्षक
2.	घर वापसी	सुश्री संगीता	लेखापरीक्षक
3.	जिंदगी	सुश्री संगीता	लेखापरीक्षक
4.	थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है	श्री हिमांशु आर्या	स्टेनोग्राफर
5.	आईना	श्री शुभम त्यागी	लेखापरीक्षक
6.	जिंदगी	सुश्री आशा शर्मा	डी.ई.ओ
7.	बढ़े चलो	सुश्री आशा शर्मा	डी.ई.ओ
8.	भीषण गर्मी	सुश्री मीना कुमारी	निजी सहायिका, निदेशक
9.	घड़ी	सुश्री मीना कुमारी	निजी सहायिका, निदेशक
10.	पेड़ न कटने देंगे	हर्षित, सुपुत्र श्री प्रवीन	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
11.	खेल- खेल में	हर्षुल, सुपुत्री श्री प्रवीन	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
12.	महिलाओं की आत्मरक्षा	श्री तरुण छिकारा	कल्याण सहायक
13.	ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग	श्री तरुण छिकारा	कल्याण सहायक
14.	हे परमेश्वरा	श्रीमती सुनीता सिंह	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
15.	हार मानूँगा नहीं	श्री साहिल	लेखापरीक्षक
16.	न्याय में देरी अन्याय के बराबर है	श्री साहिल	लेखापरीक्षक
17.	बचपन और बचपन की कहानियाँ	श्री धीरेन्द्र कुमार	सहायक पर्यवेक्षक
18.	कामकाजी महिला और उसकी चुनौती	श्री धीरेन्द्र कुमार	सहायक पर्यवेक्षक
19.	बच्चों का बचपन और पढ़ाई का बोझ	श्री धीरेन्द्र कुमार	सहायक पर्यवेक्षक
20.	कोशिश कर	श्री हरि नारायण दीक्षित	डी.ई.ओ
21.	काश वो बीते दिन लौटा दो	श्री सुमित कुमार	सहायक पर्यवेक्षक
22.	परिश्रम ही जीवन	श्री सुमित कुमार	सहायक पर्यवेक्षक
23.	क्या खोया क्या पाया	श्री अजय चौहान	एम.टी.एस

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार के नाम	पदनाम
24.	सावन का आगमन	श्री अशोक कुमार महतो	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
25.	नारी शक्ति समाज का आधार	श्री अशोक कुमार महतो	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
26.	ईमानदारी	श्री अशोक कुमार महतो	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
27.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): विश्वास का नया प्राण	श्री राजकुमार तिवारी	हिंदी अधिकारी
28.	हर अंत नई शुरुआत है	श्री विजय	लेखापरीक्षक
29.	जिम्मेदारियाँ	सुश्री बबीता	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
30.	मेडिकल बिल	सुश्री बबीता	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
31.	आत्म खोज की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से आउटसोर्सिंग हो गई है	श्री सचिन सिवाच	लेखापरीक्षक
32.	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	श्री सचिन सिवाच	लेखापरीक्षक
33.	जी.डी.पी और भारत	श्री सचिन सिवाच	लेखापरीक्षक
34.	अध्यापक (कविता)	सुश्री चाँदनी कुमारी	आशुलिपिक
35.	एक बेटी की पुकार	सुश्री चाँदनी कुमारी	आशुलिपिक
36.	इन्सान की फितरत	सुश्री चाँदनी कुमारी	आशुलिपिक
37.	साहित्य का समाज में महत्त्व	श्री प्रवीन	वरिष्ठ लेखा परीक्षक
38.	कुछ शब्द मेरी कलम से	श्री के.पी सिंह	पति (सुश्री सुनीता सिंह. वरिष्ठ लेखा परीक्षक)
39.	आओ तोड़ के लाए चाँद	निधि	भतीजी (श्री विकास, एम.टी.एस)
40.	ठंडक	निधि	भतीजी (श्री विकास, एम.टी.एस)
41.	भारत की शान हिंदी	श्री परविंदर	डी.ई.ओ
42.	बेटे	श्री अजय चौहान	एम.टी.एस
43.	माँ के नाम	सुश्री चाँदनी	आशुलिपिक
44.	मुस्कुराइए	श्री राजकुमार तिवारी	हिंदी अधिकारी



विजय (लेखापरीक्षक)

कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण और दोष

एक साफ-सुथरी तथा विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था किसी भी देश का भाग्य निर्धारित करती है, जबकि एक अस्त-व्यस्त तथा ऋण में डूबी अर्थव्यवस्था आपदा बन सकती है। साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था वह होती है, जो पारदर्शी हो तथा कालेधन के लेनदेन से मुक्त हो। कैशलेस अर्थव्यवस्था उन स्तंभों में से एक है, जिस पर एक साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

ऐसे कई सफल देश हैं, जिन्होंने अपनी रोकड़-आधारित अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर ने अपने कुल लेनदेन का 61% कैशलेस माध्यम से किया है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था के कई गुण हैं। यह पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। फिर, यह कर संग्रह में वृद्धि करती है। यह भ्रष्टाचार को कम करती है और कालाधन के प्रवाह को रोकती है क्योंकि इससे होने वाला प्रत्येक सौदा दर्ज किया जाता है। यह अधिक सुविधाजनक है क्योंकि लोगों को हर समय रोकड़ लेकर नहीं चलना पड़ता है। साथ ही, कैशलेस अर्थव्यवस्था पर्यावरण अनुकूल होती है। इससे बड़ी मात्रा में कागज की बचत होती है, जिसका प्रयोग मुद्रा को छापने में किया जाता था। साथ ही साथ, कैशलेस का मतलब है नकली नोटों की समाप्ति।

ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई दोष नहीं है। कैशलेस अर्थव्यवस्था शिक्षित तथा प्रौद्योगिकी के जानकार लोगों के लिए सुविधाजनक जरूर है, लेकिन आम लोगों के लिए यह अभी भी जटिल है तथा वे अक्सर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो तो कैशलेस लेनदेन असंभव हो जाते हैं।

कुल मिलाकर, कैशलेस अर्थव्यवस्था के गुण इसके दोषों को ढक देते हैं। इसलिए, लोगों के बीच कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए।



“हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।”

– महात्मा गांधी

घर वापसी

संगीता (लेखापरीक्षक)



घर छोड़ा मैंने, मुझे बहुत कुछ पाना है।
पाकर घर वापिस भी तो आना है।
इस सफर में हारु या जीतू,
पर घर का दरवाजा हमेशा खुला रहे।
इस बात में कोई दो राय नहीं,
कि जाते तो सब पूरा है
पर लौट कर आना अधूरा है।
शोर के बीच का सन्नाटा सताता बहुत है,
दर्द मेरे अंदर का मुझे दर्द जताता बहुत है।
सात पीढ़ियों की कहानी से कुछ हटकर लिख रही
हूँ,
इतिहास बदलने की खातिर मैं अपने ही अंदर चीख
रही हूँ।
झंझोड़ रही हूँ उन जंजीरों को जिन्होंने मुझे जकड़ रखा
था,
गरीबी ने अभी तक चारों ओर से पकड़ रखा था।
अपनी मेहनत से सजा कर अपने मां-बाप का
हर सपना मुझे घर लाना है,
घर छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पाना है।
और पाकर, घर वापिस भी तो आना है।



भीषण गर्मी

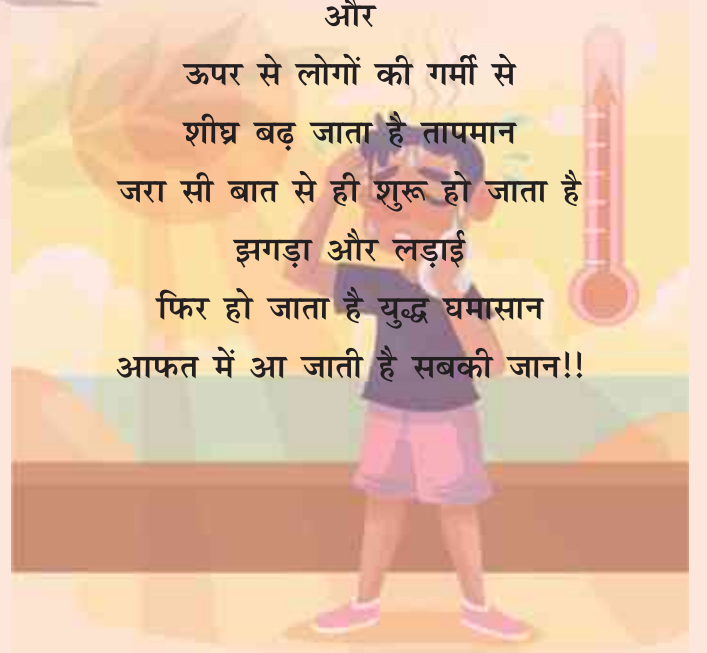
(मीना कुमारी)



निजी सहायिका निदेशक (ए.एम.जी.-I/प्रशासन)

उफ! ये जालिम गर्मी !!
गर्मी का जब आता है महीना
मुश्किल सा हो जाता है तब लोगों का जीना
बिना ही बात के आता है ख़ूब पसीना
तब ठंडा पानी पड़ता है पीना
कोल्डड्रिंक और नींबू के बड़ जाते हैं दाम
गर्मी में सबके मन को भाते हैं
तरबूज, खरबूजा और आम
धूप के चश्मे और छतरी से
मिलता है बड़ा आराम
एसी कूलर और पंखे के बिना
रुक जाते हैं सबके जरूरी काम
एक तो सूरज की भीषण गर्मी
और

ऊपर से लोगों की गर्मी से
शीघ्र बढ़ जाता है तापमान
जरा सी बात से ही शुरू हो जाता है
झगड़ा और लड़ाई
फिर हो जाता है युद्ध घमासान
आफत में आ जाती है सबकी जान!!





थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

हिमांशु आर्या (स्टेनोग्राफर)

शिखर छुआ है अभी कहाँ?

शिखर चढ़ना और

उस शिखर से खूबसूरत नजारे देखना भी तो बाकी है।

थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

तूफान के बाद

हमारी कशती को किनारे लगाना अभी बाकी है।

इस नदी में भी ठहराव आना बाकी है।

समय को भी जवाब देना तो बाकी है।

थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

अनंत आसमान को देखो तुम,

पक्षी का उड़ना अभी बाकी है।

अरे नीले आसमान के रंग में रंगना सबको कहाँ

मुनासिब है?

थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

सरल नहीं है राह

जिसपे चल मंजिल तक पहुँचने

की ये बेकरारी है।

पथ भ्रमित पथिक को

अपरिचित राहों पे चलना अभी बाकी है।

थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

सूरज के तेज से हम हैं वाकिफ़,

उसके जितना जलना जारी है।

नम आँखों के आँसू का हिसाब होना भी तो बाकी है।

बस ये

रात थोड़ी अभी अधियारी है।

फिर भी

थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

खुद को कम आंकने की मेरी एक गुस्ताखी है।

शून्य से शिखर का सफर अभी.....

“इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित-अशिक्षित,
नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं।”

- राहुल सांकृत्यायन

आइना



शुभम त्यागी (लेखा परीक्षक)

मैंने आइने से पूछा देखा है आईना कभी....
आइने ने दिया जवाब मुझसे क्या पूछते हो अभी,
आइने ने दिया जवाब मुझसे क्या पूछते हो अभी
देखा है जो भी मैंने
देखा है सबने भी वही....
देखा है जो भी मैंने
देखा है सब ने भी वही....
रहती कहाँ नजर तुम्हारी
मुझे नजर आती नहीं....
रहती कहाँ नजर तुम्हारी
मुझे नजर आती नहीं....
इतना बताओ खुद को
इतना बताओ खुद को
खुद से क्या देखा है कभी
आइने ने दिया जवाब मुझसे क्या पूछते हो अभी
बिना नजरो के ही देखना
आता है मुझको खूब भी....
बिना नजरो के ही देखना
आता है मुझको खूब भी....
मैंने तो देखा है रंग बिरंगी आंखों को
मैंने तो देखा है भावुक लोगों को
मैंने तो देखा है हस्ते हुए चेहरों को
वो मुझसे ही बोलते
आइना देखकर ही लगा पता...
मिलता नहीं ये सब

मिलता नहीं हुस्न सबको...
चाहे कर लो कोशिशें लाख सब
मिलता नहीं हुस्न सबको...
मैंने तो देखा है उस अनंत पार
मैंने तो देखा है उस अनंत पार....
जहा खुद की ही छवि अनेकों बार
मेरे तो टुकड़ों में भी मिलेगा
मेरे तो टुकड़ों में भी मिलेगा....
तुमको तुम्हारा जवाब
तुम्हारा जवाब
देखा है जिसने भी मुझे
जरा पूछो उससे..
तो मुझसे क्यों पूछते हो
आखिर तुम ही क्यों नहीं देख लेते मुझे
जब देखने वाले को खुद ही मिलता है जवाब...
आखिर तुम ही क्यों नहीं देख लेते मुझे
जब देखने वाले को खुद ही मिलता है जवाब....
आइने ने दिया जवाब अब मिल गया तुमको
अब मिल गया तुमको तुम्हारा जवाब
तुम्हारा जवाब,
तुम्हारा जवाब...



जिम्मेदारियाँ



बबीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आता है,
तो हर किसी का जीवन अस्त- व्यस्त हो जाता है।
जिम्मेदारियाँ किसी के लिए भी बोझ नहीं होती
कौन है? जिसकी जिंदगी इसमें नहीं खोती
यदि वक्त से पहले जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है,
जीवन में कई अनचाहा ज्ञान व्यक्ति पा जाता है।
जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति लोगों से दूर हो जाता है
समाज की भीड़ में वह खुद को अकेला खड़ा पाता है
पर फिर भी वह सपनों को लिए अड़ा रहता है
समाज में उसी अकेलेपन के साथ खड़ा रहता है
जिम्मेदारियों का बोझ उसे रुलाता नहीं
सफर पूर्ण होने से पूर्व उसे सुलाता नहीं
वह सफर की तलाश में बढ़ा जाता है
अपनी किस्मत को सुधारने की खातिर लड़ा जाता है
काश! ये जिम्मेदारियाँ कुछ समय बाद आती
हमें भी जिंदगी औरों के जैसे भाती.....

बढ़े चलो



सुश्री आशा शर्मा, डी.ई.ओ

फूल बिछे हो या काँटे हों,
राह न अपनी छोड़ो तुम!
चाहे जो विपदाये आयें,
मुख को जरा न मोड़ो तुम।
साथ रहें या रहे न साथी
हिम्मत मगर न छोड़ो तुम
नहीं कृपा की भिक्षा मांगो,
कर न दीन बन जोड़ो तुम।
बस ईश्वर पर रखो भरोसा
पाठ प्रेम का पढ़े चलो!
जब तक जान बनी हो तो तन में,
तब तक आगे बढ़े चलो तुम!

“उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं
सभी भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूँगा।”

– शारदाचरण मित्र

जिंदगी



संगीता (लेखापरीक्षक)

जब तक चलेगी जिंदगी की सांसे,
कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा।
कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो,
कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा।
कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो,
कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा।
कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो,
कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा।
कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने तो
कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा।
कहीं होगी खुशामदे चेहरे पर तो,
कहीं पीठ पर बुराई का घाव मिलेगा।
तू चलाचल रही अपने कर्मपथ पे,
जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा।
रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू,
अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा।



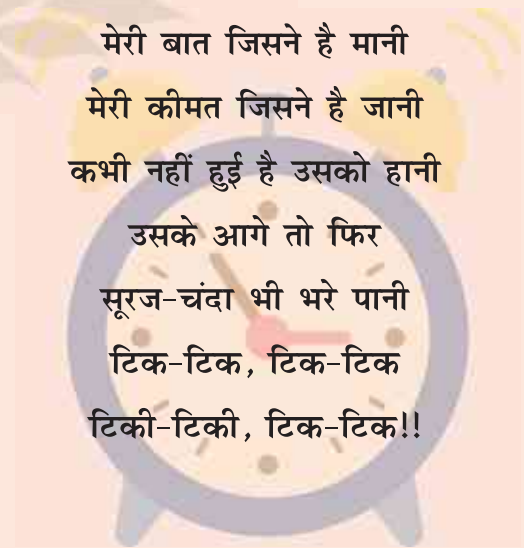
घड़ी



(मीना कुमारी)

निजी सहायिका निदेशक (ए.एम.जी.-I/प्रशासन)

टिक-टिक, टिक-टिक
टिकी-टिकी, टिक-टिक
युगों-युगों से चलती जाए घड़ी
देखो-देखो जी!
सबकी कलाई पर है पड़ी
दीवार पर भी है खड़ी
घंटाघर में तो है सबसे बड़ी
टिक-टिक, टिक-टिक
टिकी-टिकी, टिक-टिक
सुनो-सुनो जी!
ये घड़ी तो सबको है दौड़ा रही
अपने हिसाब से सबको है चला रही
और तो और
सबको है समझा रही
मेरी बात जिसने है मानी
मेरी कीमत जिसने है जानी
कभी नहीं हुई है उसको हानी
उसके आगे तो फिर
सूरज-चंदा भी भरे पानी
टिक-टिक, टिक-टिक
टिकी-टिकी, टिक-टिक!!



पेड़ न कटने देंगे



हर्षित (सुपुत्र श्री प्रवीन)
कक्षा-III

दो सौ पेड़ कटे जंगल में, उजड़े पूरे
उजड़े पूरे सौ परिवार।
लेकर खबर भयानक आया,
जंगल में ताजा अखबार।
भालू ने अखबार देखकर,
किया एक ऐलान सुनो।
जंगल की यह खबर ध्यान से,
सुनो सभी श्रीमान सुनो।
बहुत बढ़ गया मानव का,
जंगल पर यह अत्याचार।
कितने हरे पेड़ काटे और
कितने उजड़ गए परिवार।
अब हम पेड़ न कटने देंगे,
यही हमारा नारा है।
हरे पेड़ जंगल की शोभा,
यह संकल्प हमारा है।

खेल-खेल में



हर्षुल (सुपुत्री श्री प्रवीन,
वरिष्ठ लेखा परीक्षक) कक्षा-IV

खेल-खेल में आगे-आगे बढ़ना सीखो जी,
एक-एक उन्नति की सीढ़ी चढ़ना सीखो जी।
खेल स्वास्थ्य का मूलमंत्र है, इसकी महिमा न्यारी।
खेल बने साधक तो महके जीवन की क्यारी-क्यारी।
नई दिशा में नए रास्ते गढ़ने सीखो जी,
खेल-खेल में आगे-आगे बढ़ना सीखो जी।
खेल प्रेम की नदी बहाए जिसमें चलो लगाएँ गोता।
नहीं मिलेगा उसको कुछ भी जो हरदम रहता सोता।
पुस्तक है मैदान शान से पढ़ना सीखो जी,
खेल-खेल में आगे-आगे बढ़ना सीखो जी।
खेल-भावना से बना है एक भरा-पूरा परिवार।
जिसमें कोई बड़ा न छोटा सपने सब होते साकार।
सपनों का एक चित्र बनाकर मढ़ना सीखो जी,
खेल-खेल में आगे-आगे बढ़ना सीखो जी।

“हमारी देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है।”

- राहुल सांस्कृतयायन

महिलाओं की आत्मरक्षा

तरुण छिकारा, कल्याण सहायक

महिलाओं की आत्मरक्षा एक आवश्यक कौशल है जो आज के समाज में हर महिला के पास होना चाहिए। यौन उत्पीड़न, हमले और घरेलू हिंसा के मामलों में खतरनाक वृद्धि के साथ, महिलाओं के लिए खुद की रक्षा करना सीखना महत्वपूर्ण हो गया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल महिलाओं को संभावित खतरों से बचाव के लिए शारीरिक तकनीकों से लैस करता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, जागरूकता और समुदाय की भावना से भी सशक्त बनाता है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक प्राथमिक लाभ यह है कि यह शारीरिक कौशल प्रदान करता है। महिलाएं पकड़, प्रहार और शारीरिक हमले के अन्य रूपों से बचने के लिए विभिन्न तकनीकें सीखती हैं। ये तकनीकें बड़े और मजबूत विरोधियों के खिलाफ प्रभावी होने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो हमलावर की गति और ताकत का लाभ उठाती हैं। इसके अलावा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण समग्र शारीरिक फिटनेस, लचीलेपन और समन्वय में सुधार करता है, जिससे महिलाएं अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होती हैं और खतरों का जवाब देने में सक्षम होती हैं।

शारीरिक कौशल से परे, आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं में आत्मविश्वास और दृढ़ता पैदा करता है। सीमाएँ निर्धारित करना और खुद का बचाव करना सीखकर, महिलाओं में आत्म-मूल्य और आत्म-सम्मान की भावना विकसित होती है। वे अपने आस-पास के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाती हैं, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करती हैं और अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त करने की संभावना कम होती है। यह आत्मविश्वास जीवन के दूसरे क्षेत्रों, जैसे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में भी परिलक्षित होता है, जिससे महिलाएँ खुद

को मुखर करने और अपनी जरूरतों को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होती हैं।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं के बीच समुदाय और समर्थन की भावना को भी बढ़ावा देता है। दूसरी महिलाओं के साथ प्रशिक्षण से एक बंधन बनता है और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और जोखिमों के बारे में साझा समझ बनती है। महिलाएँ एक-दूसरे पर भरोसा करना, एक-दूसरे का समर्थन करना और एक-दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखना सीखती हैं। समुदाय की यह भावना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने आघात या दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, जो उन्हें ठीक होने और अपने जीवन पर



नियंत्रण पाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है।

इसके अलावा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है; यह मानसिक तैयारी और रणनीतिक सोच के बारे में भी है। महिलाएँ स्थितियों का आकलन करना, संभावित खतरों को पहचानना और उनसे बचने या उन्हें शांत करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना सीखती हैं। यह जागरूकता और तैयारी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने और खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और रूढ़ियों को चुनौती देता है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं। खुद की रक्षा करना सीखकर, महिलाएँ इस धारणा को खारिज करती हैं कि वे कमजोर और शक्तिहीन हैं। वे सुरक्षा और सम्मान के अपने अधिकार का दावा करती हैं, और समान व्यवहार की माँग करती हैं। मानसिकता में इस बदलाव के दूरगामी निहितार्थ हैं, जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन में योगदान देता है जो महिला सशक्तिकरण को महत्व देता है और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देता है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण के कई लाभों के बावजूद, पहुँच में अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। कई महिलाएँ, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की महिलाएँ, वित्तीय, सांस्कृतिक या तार्किक बाधाओं का सामना करती हैं जो उन्हें आत्मरक्षा कक्षाओं तक पहुँचने से रोकती हैं। इन बाधाओं को दूर करना और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष में, महिलाओं की आत्मरक्षा एक महत्वपूर्ण कौशल है जो महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। यह समुदाय की भावना प्रदान करता है, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है, और महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के अधिकार पर जोर देता है। एक समाज के रूप में, हमें महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसे सभी महिलाओं के लिए सुलभ और समावेशी बनाना चाहिए। ऐसा करके हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण को महत्व देती हो तथा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को चुनौती देती हो।

“मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता।”

- आचार्य विनोबा भावे

ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग

तरुण छिकारा, कल्याण सहायक

इंटरनेट और सोशल मीडिया के उदय ने हमारे संवाद करने और एक-दूसरे से बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हालाँकि, इस डिजिटल परिदृश्य ने एक भयावह घटना को भी जन्म दिया है, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग। इंटरनेट की गुमनामी और फर्जी अकाउंट बनाने की आसानी ने अपराधियों को कमजोर व्यक्तियों, खासकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ शामिल हों। ऑनलाइन उत्पीड़न का मुकाबला करने के प्राथमिक कदमों में से एक इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

साइबरबुलिंग के शिकार अक्सर अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों से पीड़ित होते हैं। लगातार नफरत भरे संदेशों, धमकियों और अपमानजनक पोस्टों की बौछार से व्यक्ति अलग-थलग और असहाय महसूस कर सकता है। जागरूकता अभियान व्यक्तियों को ऑनलाइन उत्पीड़न के संकेतों को पहचानने और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में साइबरबुलिंग की रोकथाम को शामिल करना चाहिए, बच्चों को ऑनलाइन शिष्टाचार और सहानुभूति का महत्व सिखाना चाहिए। ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इन प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग और उससे निपटने के लिए स्पष्ट नीतियाँ और दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मानव मॉडरेटर रिपोर्ट की समीक्षा कर सकते हैं और उचित कार्रवाई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को अपराधियों को ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने के लिए उपकरण भी प्रदान करने चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़ें।

सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी ऑनलाइन उत्पीड़न को गंभीरता से लेना चाहिए। साइबरबुलिंग कई न्यायालयों में एक आपराधिक अपराध है, और अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और सरकारों को साइबरबुलिंग की जाँच



और मुकदमा चलाने के लिए समर्पित इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा, सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो विशेष रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न को संबोधित करते हों, जिसमें अभद्र भाषा और बदला लेने वाली पोर्न शामिल हैं।

ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने में व्यक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ऑनलाइन सहानुभूति और दयालुता का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए, पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा, हमें अपने ऑनलाइन व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए, ऐसी भाषा और व्यवहार से बचना चाहिए जो दूसरों को चोट पहुँचाने वाला या अपमानजनक हो सकता है।

इसके अलावा, ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने में तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। डेवलपर्स ऐसे ऐप और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाते हैं और उसे ब्लॉक करते हैं, जबकि शोधकर्ता ऐसे एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं जो अपराधियों की पहचान करते हैं और उनके व्यवहार का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा, तकनीक पीड़ितों को अपने अनुभव साझा करने और समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों से जुड़ने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा, ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए ऑनलाइन व्यवहार को देखने और संबोधित करने के तरीके में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि ऑनलाइन व्यवहार के वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं और हमारे ऑनलाइन कार्यों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हमें पारंपरिक लैंगिक रूढ़ियों और सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती देनी चाहिए जो ऑनलाइन उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं, समावेशिता, सम्मान और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष में, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ शामिल हों। हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए, स्पष्ट नीतियाँ और दिशा-निर्देश स्थापित करने चाहिए, अपराधियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और ऑनलाइन सहानुभूति और दयालुता का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा, हमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए और उन सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देनी चाहिए जो ऑनलाइन उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। केवल सामूहिक प्रयास से ही हम एक सुरक्षित और सम्मानजनक ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं जो विविधता को महत्व देता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

“राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना
देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।”

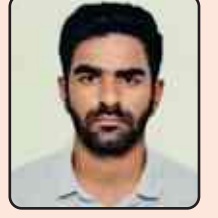
– महात्मा गांधी

!! हे परमेश्वरा !!

सुनीता सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक

कोई भी आवेदन नहीं किया था,
किसी की भी सिफारिश नहीं थी, ऐसा कोई
असामान्य कार्य भी नहीं है,
फिर भी
सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक 24 घंटे
भगवान, तू रक्त प्रवाहित करता है...
जीभ पर नियमित अभिषेक कर रहा है...
निरंतर तू मेरा ये हृदय चलाता है...
चलने वाला कौन सा यंत्र फिट कर दिया है
हे परमात्मा...
पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक बिना
रुकावट संदेशवाहन करने वाली प्रणाली...
किस अदृश्य शक्ति से चल रही है
कुछ समझ नहीं आता।
हड्डियों और मांस में बनने वाला रक्त कौन सा
अद्वितीय आर्किटेक्चर है...
इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है।
हजार-हजार मेगापिक्सल वाले दो-दो कैमरे दिन-रात
सारे दृश्य कैद कर रहे हैं।
दस-दस हजार टेस्ट करने वाली जीभ नाम की
टेस्टर,
अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा
नाम की सेंसर प्रणाली...
और...

अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करने वाली
स्वर प्रणाली
और
उन फ्रीक्वेंसी का कोडिंग-डीकोडिंग करने वाले कान
नाम का यंत्र...
पचहत्तर प्रतिशत पानी से भरा शरीर रूपी टैंकर
हजारों छेद होने के बावजूद कहीं भी लीक नहीं
होता...
स्टैंड के बिना मैं खड़ा रह सकता हूँ...गाड़ी के टायर
घिसते हैं, पर पैर के तलवे कभी नहीं घिसते।
अद्भुत ऐसी रचना है।
देखभाल, स्मृति, शक्ति, शांति ये सब भगवान तू
देता है। तू ही अंदर बैठ कर शरीर चला रहा है।
अद्भुत है यह सब, अविश्वसनीय,
असमझनीय।
ऐसे शरीर रूपी मशीन में हमेशा तू ही है,
इसका अनुभव कराने वाला आत्मा भगवान तू ऐसा
कुछ फिट कर दिया है कि और क्या तुझसे मांगूं...
तेरे इस जीवाशिवा के खेल का निश्छल, निस्वार्थ
आनंद का हिस्सा रहूँ!...
ऐसी सद्बुद्धि मुझे दे!!
तू ही यह सब संभालता है इसका 'अनुभव मुझे
हमेशा रहे!!! रोज पल-पल कृतज्ञता से तेरा ऋणी
होने का स्मरण, चिंतन हो, यही परमेश्वर के चरणों
में प्रार्थना है!.



हार मानूँगा नहीं

साहिल, लेखा परीक्षक (AMG-II)

क्या लगता है मैं रुकूँगा
नहीं, असंभव।
क्या लगता है मैं झुकूँगा
नहीं, असंभव॥
कष्टों को खूँटी पर रखकर
सूर्य से नजर मिलायेंगे।
असि मनोबल की लेकर
रण-भूमि में भिड़ जाएंगे॥
हम खुद से नौका बनाएंगे
और खुद ही पार लगाएंगे।
अब उनसे क्या ही आस रखे
जो बाते सिर्फ बनाएंगे॥
संघर्षों की आँधी में हम
अपना दीप जलाएंगे।

तूफानों की क्या मजाल
जो जलते दीप बुझायेँगे॥
रोकेंगी मुझको आँधी क्या
मैं पर्वत बन टकराऊँगा।
बरसेगा मुझपर अम्बर क्या
मैं उसको आँख दिखाऊँगा॥
विघ्नों से नहीं डरने वाला
न हाथ खड़े करने वाला।
पुरुषार्थ ही मेरा ईश्वर है
मैं स्वयं भाग्य लिखने वाला॥
संघर्ष पथ पर बढ़ते चलूँगा
कर्म नीत करते चलूँगा।
हार मानूँगा नहीं
अहसान माँगूँगा नहीं॥





न्याय में देरी अन्याय के बराबर है

साहिल, लेखा परीक्षक (AMG-II)

इस कहावत का अर्थ है कि पीड़ित पक्ष के लिए यदि कानूनी समाधान या उचित राहत समय पर नहीं मिलती, तो वह राहत नहीं मिलने के ही समान है।

न्याय सभ्यता के बुनियादी लक्ष्यों में से एक है। इसलिए, न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह शांति, समरसता, तथा प्रगति के अपने उद्देश्य को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन करे। यह सिद्धांत त्वरित मुकदमा के अधिकार तथा इसी प्रकार के अन्य

अधिकारों का आधार है, जिनका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था की गति को तेज करना है ताकि पीड़ित पक्ष को समय पर तथा प्रभावी न्याय प्रदान किया जा सके।

न्यायिक व्यवस्था के बिना, निरंकुशता अपने चरम पर होगी। इसलिए, इसे नागरिक अधिकारों का रक्षक तथा निर्दोष लोगों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। समय पर न्याय का नहीं मिलना पीड़ित पक्ष की पीड़ा में और वृद्धि करेगा जबकि दोषी आजाद घूमता रहेगा। इसलिए, न्याय में देरी को पीड़ित को होने वाली पीड़ा तथा तकलीफ के कारण अन्याय के बराबर माना जाता है।

कभी-कभी, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों के कारण, आरोपित की मौत मुकदमे के दौरान ही हो जाती है तथा उस मामले में न्याय दे पाना असंभव हो जाता है। साथ ही, समय बीतने पर, पीड़ित पक्ष के लिए भी वित्तीय और अन्य बाधाओं के कारण कानूनी लड़ाई कठिन हो जाती है। इसलिए, न्याय में देरी को अन्याय माना जाता है। और जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, “किसी भी स्थान पर होने वाला अन्याय हर जगह होने वाले न्याय पर खतरा है।” अतः विश्व के न्यायसंगत बने रहने के लिए अनिवार्य है कि न्याय समय पर मिले।



“हिंदी आम बोलचाल की ‘महाभाषा’ है।”

- जॉर्ज ग्रियर्सन



कामकाजी महिला और उसकी चुनौती

धीरेन्द्र कुमार, सहायक पर्यवेक्षक
(AMG-II अनुभाग)

पुरुष और महिला सामाजिक संरचना के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। समाज और सत्ता पुरुष संचालित रहे हैं। उसमें महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक रही हैं। किन्तु आज उन्होंने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं पुरुषों के समान काम नहीं कर सकतीं। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति आज महिलाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पुरुष के बराबर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी तथा प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में उनका पुरुषों के समान ही सम्मानजनक स्थान है। पुलिस सेवा में किरण बेदी जैसी अनेक महिलाएँ अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा चुकी हैं।

आज केन्द्रीय राजधानी दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के उच्च पदस्थ स्थानों पर महिलाओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। यूरोप और अमेरिका ही नहीं आज इजरायल, मिस्र और छोटे-छोटे अरब देशों एवं अफ्रीका जैसे पिछड़े महाद्वीपों के छोटे-छोटे देशों तथा भारत की अनेक महिलाओं ने वायुयान संचालन, सेना, पुलिस और परिवहन के क्षेत्रों में भी कार्य करके पुरुषों की बराबरी करने का साहस दिखाया है। सामाजिक प्रगति में योगदान संसार के विकसित देशों और विकासशील देशों में नारी का अपने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में भी कुशल और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्र के निर्माण और विकास में उनका योगदान कम महत्व का नहीं है। कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ- भारत में शिक्षण

प्रशिक्षण और कामकाज करके योग्यता ग्रहण करने में तो महिलाओं का तेजी से योगदान बढ़ा है। परन्तु पुरुष समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण अभी तक नहीं बदला है, आज भी पुरुष नारी को हेय दृष्टि से देखता है। अतः उनके विकास और स्वतंत्रता की राह में हर तरह के कांटे बिछाने का प्रयास किये जा रहे हैं।

परिणामस्वरूप महिलाएँ अपनी योग्यता के अनुसार खुलकर कार्य नहीं कर पाती हैं। भारतीय समाज तो अभी तक प्राचीन सामंती व्यवस्था की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। यहाँ कामकाजी महिलाएँ बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर पा रही हैं। हमारे देश में आज भी अकेली महिलाएँ देर रात तक घर से बाहर नहीं रह पाती हैं। यदि भूलवंश ऐसा हो भी जाए तो असभ्य दरिंदों की सामूहिक



हवश का उन्हें शिकार होना पड़ता है। अतः भारत में आज भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं कही जा सकती हैं। समस्याओं का समाधान- सदियों से संघर्ष करते करते महिलाओं ने बड़ी कठिनाई से इस स्थिति को प्राप्त किया है। जिसमें वह पुरुष की क्रीतदासी न होकर उसकी सहयोगिनी बन पाई है। वह पुरुष के समान ही राष्ट्र निर्माण एवं विकास में भाग ले रही है। अतः असभ्य आचरण करने वाले थोड़े से दरिंदों के भय से वह अपना लक्ष्य त्याग नहीं सकती। सरकारी स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल बनाए गये हैं। जहाँ वे सुरक्षित व सुखपूर्वक रहकर राष्ट्र निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। बड़े शहरों में इस प्रकार के सामूहिक फ्लैट्स बनाए गये हैं जिनमें महिलाएँ सुख सुविधा सम्पन्न सुरक्षित जीवन यापन कर रही हैं। कामकाज के स्थान

पर भी उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध है। शिक्षा के प्रसार ने पुरुषों के दृष्टिकोण में भी अपेक्षित परिवर्तन किया है। अतः अब कामकाजी महिलाएँ निश्चिन्त होकर राष्ट्र के विकास में सहयोगिनी बनी हुई हैं।

राष्ट्र और समाज की प्रगति में जब हम महिलाओं से योगदान की अपेक्षा रखते हैं, तो प्रायः यह भूल जाते हैं कि एक कामकाजी महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक कार्यस्थल से और दूसरी परिवार से सम्बन्धित होती है। प्रायः स्त्री से यह आशा की जाती है कि काम पर जाने से पूर्व और काम से लौटने के बाद वह गृहिणी की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी से निभाए। यह अन्याय है पुरुषों को भी घर की जिम्मेदारी में बराबर का सहयोग करना चाहिए।

**“हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है
जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं
की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।”**

- मैथिलीशरण गुप्त

बच्चों का बचपन और पढ़ाई का बोझ



धीरेन्द्र कुमार, सहायक पर्यवेक्षक
(AMG-II अनुभाग)

वर्तमान समय में बच्चों का जीवन स्वाभाविक नहीं रह गया है। उनका बचपन जिस प्रकार का स्वतंत्र एवं खेलने वाला होना चाहिए, वैसा नहीं रह गया है। लगता है उनका बचपन कहीं खो गया है। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? आजकल बच्चों पर 2-3 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है। पढ़ाई की एक निश्चित उम्र होती है। यह कम से कम 5 वर्ष तो होनी चाहिए। कम उम्र में पढ़ाई का बोझ उन्हें बचपन जीने से वंचित कर देता है। बच्चों को माता-पिता की इच्छाओं का दबाव सहना पड़ता है। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को शीघ्र पढ़ा-लिखाकर एक सफल नौकरशाह या व्यापारी बना देना चाहते हैं। इसी चक्कर में बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल पाता। बच्चे के विकास में खेलने का भी काफी महत्त्व होता है।

पढ़ाई का बढ़ता बोझ बच्चे को गंभीर प्रकृति का बना देता है। उसे बचपन जीने का अवसर ही नहीं मिल पाता। शिक्षा जीवन में सबसे अहम है। हर माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चे को प्रथम आने की उम्मीद लगाए स्कूल भेजता है। अक्ल आने की मांग बच्चों को प्रतियोगिता के जाल में फंसा देती है। बच्चे सफल हुए तो वाह-वाह! असफलता के लिए तो कोई जगह ही नहीं है यहां; यही तनाव का मुख्य कारण है। बच्चा खेल में आनंद नहीं, जीत तलाशने लगता है। सौ प्रतिशत का स्कोर कब बच्चों से बचपन छीन लेता है, हम समझ ही नहीं पाते। बच्चे मानसिक तनाव से अवसाद की ओर बढ़ने लगते हैं।

आज बच्चों के तनाव का स्तर (स्ट्रेस लेवल) इतना बढ़ गया है कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा



उत्पन्न होने लगी है। ऐसे में, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उनके तनाव मुक्त बचपन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बच्चों में पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल है 'हैप्पीनेस क्लास', जिसकी चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को दिल्ली के सरकारी स्कूल तक ले आई। बच्चों को तनाव मुक्त करने का यह तरीका आने वाले समय में शायद शिक्षा प्रणाली की नई इबारत लिखेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चे उच्च तनाव के शिकार हो रहे हैं जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों पर ज्यादा अंक लाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। सही तैयारी के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने जितना तैयार किया है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए। इसमें अभिभावकों का अहम रोल होता है। भाग-दौड़ वाली जीवनशैली, बच्चों पर भारी बस्ते का बढ़ता बोझ शारीरिक रूप से बीमार करने वाला है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे के भारी भरकम बस्ते उनके कंधों, कमर और सिर दर्द के भी कारण बनते हैं। एक कदम आगे, सर्वोत्तम बनने की होड़ में लगातार बढ़ते पारिवारिक दबाव से तंग आकर बच्चे आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने तक पहुंच जाते हैं। उन्हें यह कचोटने लगता है कि वे अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। बच्चों का यह नकारात्मक दृष्टिकोण हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है साथ ही सामाजिक ताने बाने के मूल्यांकन पर भी। इतिहास गवाह है कि दुनिया का कोई भी साधारण अंक-पत्र किसी बालक की असाधारण प्रतिभा का

आकलन नहीं कर पाया है। भारतीय इतिहास में दर्ज लम्बी सूची है जिनमें चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर से लेकर महात्मा गांधी एवं वर्तमान युग में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए हैं, भले ही वे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हों या शिक्षा ही न हासिल कर पाए हों।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में महारथी होता है। जरूरत तो सिर्फ उस शिक्षक की होती है जो बच्चे की रुचि एवं प्रतिभा को पहचान कर सही दिशा दे। लगातार बढ़ता तनाव तथा मानसिक दबाव बच्चों में निराशा का भाव पैदा करता है। ऐसे में बच्चों के मन में डर जन्म ले लेता है जो अकसर बड़े होने पर भी साथ नहीं छोड़ता। प्राथमिक कक्षा से ही बच्चे पर कक्षा में टॉप आने का दबाव यकीनन कामयाबी दिलाता है लेकिन हमेशा नम्बर वन रहना बच्चे को बचपन खुल कर जीने नहीं देता। पता ही नहीं चलता कब बच्चे के मन में यह घर कर जाता है कि जीवन में केवल अंक ही जरूरी है और कुछ नहीं। बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए माता-पिता को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे की क्षमता क्या है? वह खुद से क्या करना चाहता है? वह किस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है? भले ही वह माता-पिता के सपनों के क्षेत्र से अलग हो।

बच्चों के अंकों से उनकी क्षमता का आकलन करना ठीक नहीं। हमें अपने नजरिये में बदलाव की आवश्यकता है तभी देश का हर बच्चा अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर पाएगा। बच्चे को आइन्सटाइन बनाने के लिए पहले अपने नजरिये को आइन्सटाइन की मां के समकक्ष लाना होगा। बच्चे की प्रतिभा और रुचि जानना अति आवश्यक है। तभी हम स्वस्थ एवं खुशहाल भारत का निर्माण कर पाएंगे।

कोशिश कर



हरि नारायण, डी.ई.ओ

कोशिश कर, हल निकलेगा
आज नहीं तो, कल निकलेगा
अर्जुन-सा लक्ष्य रख निशाना लगा,
मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा
मेहनत कर, पौधों को पानी दे
बंजर में भी फल निकलेगा
ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे,
फौलाद का भी, बल निकलेगा
सीने में उम्मीदों को जिंदा रख
समन्दर से भी, गंगाजल निकलेगा
कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की
जो कुछ थाम-थमा है, चल निकलेगा
कोशिश कर, हल निकलेगा
आज नहीं तो, कल निकलेगा



काश वो बीते दिन लौटा दो



सुमित कुमार, सहायक पर्यवेक्षक
(समन्वय अनुभाग)

काश कोई वो बीते दिन लौटा दे
जब इन्सान में इन्सान बसता था
जब चेहरे पर मुस्कराहट होती थी मुखौटों पर नहीं
जब द्वेष घरना से मुक्त इंसानियत का जग में वास था
काश कोई वो बीते दिन लौटा दे।
जब ईंट पथारों से नहीं अपनेपन से घर बनता था
जीवन था दुर्गम लेकिन संतोष इंसानों में बसता था
आपसी प्रेमभाव एवं मिलाप से सब मिलजुल कर
रहते थे
बुनियादी अभावों में भी जीवन कितना सुगम था
काश कोई वो बीते दिन लौटा दे।
आज आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है मानव
जीवन
फिर भी क्यों व्यथित और अधीर है इन्सान
स्मार्टफोन व इन्टरनेट की दुनिया में क्यों निकट
होकर भी दूर है इन्सान
एक वक्त में ब्लैक और वाइट दुनिया में खुशियों से
रंग नजर आते थे
आज सभी के रंग भी क्यों फीके लगते हैं
काश वो बीते दिन लौटा दो
जब इन्सान में इन्सान बसता था।

परिश्रम ही जीवन



सुमित कुमार, सहायक पर्यवेक्षक
(समन्वय अनुभाग)

हे मानव तू जीवन में निरंतर परिश्रम कर
विकृत विकराल परिस्थितियों से आहत होकर न
हाहाकार कर

अपने अंतःकरण में नित आत्मबल व साहस का
संचार कर

हे मानव तू सदैव जीवन में परिश्रम कर
मानव जीवन नहीं है एक सहज तथा सरल पथ
इसमें समय समय पर नित नयी परेशानियाँ व
विपदाएँ प्रहार करती

इसमें निरंतर मेहनत से ही सफलता का मुकाम
बनाना पड़ता है

अपने आत्मविश्वास व निरंतर श्रम से हालातों को
झुकाना पड़ता है

अतः हे मानव तू जीवन में सदैव परिश्रम कर
कठिन श्रम के बल पर ही चींटी अपने जाले बुनती
है

इसी श्रम व आत्मबल से ही हकेंस लुइ ब्रेल जैसे
कितनों ने अपना मुकाम बनाया है

निरंतर श्रम के कारण आज हमारे विज्ञानिकों ने
चाँद तक आपने परचम लहराया है
कभी सोचा है कैसे ये सफलता के मार्ग पर अगर्सर
हो पाते

अगर असफलताओं से थक हारकर बैठ जाते
अतः हे मानव तू जीवन में निरंतर सदैव परिश्रम कर
अतः हे मानव तू जीवन में निरंतर सदैव परिश्रम कर

क्या खोया क्या पाया



श्री अजय चौहान, एम.टी.एस

जिंदगी के इस सफर में
क्या खोया क्या पाया
इस पर गणना करना
कितना मुश्किल है
सबसे मूल्यवान समय को खोया
जो हर पल हर क्षण बीत रहा
खेल-खेल में आई जवानी
और बुढ़ापा आवाज दे रहा
कितना बेफिक्र हुआ
करता था वक्त तब,
अब मौत की आहट सुन रहा,
अपनों के खो जाने के गम से
वीरानी में जीवन बीत रहा।
जिनको पाया उनसे उलझन
और रूसवाई मिली
महफिल पाने की ख्वाहिश में
सिर्फ और सिर्फ तन्हाई मिली।
रूह-रूहानी हो चली है
क्या लिख पायेंगे
ये खोने पाने के झमेले
मसान तक जायेंगे।
जीवन के इस भाग दौड़ में
क्या क्या याद रखेंगे हम
पाप पुण्य हैं पाये कितने
अब उसकी गिनती करना है,
आगे के शुभ कर्म हो अपने
यही प्रभू से विनती करना है।

सावन का आगमन



अशोक कुमार महतो
(वरिष्ठ लेखा परीक्षक)

सावन का आगमन लाती है हरियाली की फुहार,
छाई है बादलों की चादर, रिमझिम बूंदों की बहार।
भीगी धरती की लापरवाही, मिलती है दिल को सुकून
से,
प्रकृति का यह संगम, बनाता है जीवन सुहाना हर पल।
जब पानी की बूंदें गिरती हैं, खेतों में एक नया जीवन देती
है,
नाचते हैं पक्षी और गाते हैं, सबका मन मगन हो जाता है।
सावन की फुहार, गर्मी को देती है मात,
हो जाती है सुहानी व ठंडक भरी रात।
बरसात का यह मौसम, प्रेमियों के लिए बहार,
जीवन की हर धड़कन, सुखद बन जाए इस बरसाती में।
बादलों की छांव, मिलती है धरती को ठंडक,
हर एक कोने में खुशबू, हर एक बूंद में बरसात की याद।
बरसात की धुन में, धीरे-धीरे गाती हैं हवाएं,
आओ मिलकर बनाएं इस मौसम को याद।
बरसात का यह रोमांस, अनमोल है इसकी कहानी,
सबको देता है, अनमोल जीवन इसका पानी।

हर अंत नई शुरुआत है



विजय, लेखा परीक्षक

हर आरंभ का अंत सुनिश्चित, हर अंत नई शुरुआत
है,

रात ढले तो आए सवेरा, साँझ ढले तो रात है।
ईश्वर ने जो चक्र बनाया, मानव उसको समझ न
पाया,
क्यों पतझड़ के बाद बसंत, क्यों जेठ गए बरसात
है?
हम सब कशती, औ प्यादे, जिस घर चाहे खुदा चला
दे,
अगली चाल का पता नहीं, कब शह मिले कब मात
है?
सुख सहर्ष अपनाते हैं जब, क्यों देख दुख घबराते हैं
तब?
सिक्के के दो पहलू अलग हो सकें, नामुमकिन ये
बात है।
ठहर सका क्या कभी ये जीवन, पल पल हो रहा
परिवर्तन,
कल जिस गली से उठी थी अर्थी, उसी से गुजरी
आज बारात है।



नारी शक्ति: समाज का आधार

अशोक कुमार महतो (वरिष्ठ लेखक परीक्षक)

नारी शक्ति के विषय में बात करना हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। नारी शक्ति का मतलब होता है महिलाओं को उनकी अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का पूर्णतः उपयोग करने की क्षमता देना। आजकल, हमारे समाज में नारी शक्ति को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारी समाजिक संरचना में समानता और न्याय की स्थापना हो सके।

पहले युगों में, महिलाएं समाज में निर्दिष्ट भूमिकाओं में बंधी रहती थीं। वे घर के कामों में ही रहती थीं और समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें पहुंच नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, समाज में समानता की कमी होती थी और महिलाओं का सम्मान नहीं मिल पाता था। हालांकि, आज की पीढ़ी में स्थिति बदल चुकी है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे शिक्षा, सेना, विज्ञान, कला, व्यापार, और सरकारी संस्थानों में अपने पूर्ण क्षमता से योगदान



दे रही हैं। यह प्रगति का प्रतीक है कि नारी शक्ति के माध्यम से हमारी समाज में नए दृष्टिकोण आ रहे हैं। नारी शक्ति का सही अर्थ यह नहीं कि केवल महिलाएं मर्जी से अपने जीवन के मार्ग का चयन करें, बल्कि यह भी है कि समाज को इसे स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए, समाज को महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना जरूरी है। नारी शक्ति के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार भी आता है। जब महिलाएं समाज में सक्रिय भागीदारी करती हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे वे अपने परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण सहायक बनती हैं।

अतः, समाज को नारी शक्ति के प्रति उत्साही होना चाहिए। इसे बढ़ावा देने के लिए, हमें महिलाओं को उच्च शिक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, और समान वेतन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना होगा। इस प्रक्रिया में, समाज के सभी सदस्यों का सहयोग और समर्थन आवश्यक होता है।

समाप्ति में, हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति ही हमारे समाज का आधार है। इसके बिना, हमारा समाज अधूरा है और विकास के पथ पर अटका रहेगा। इसलिए, हमें समाज के सभी स्तर पर नारी शक्ति के प्रति सशक्तिकरण के प्रयास को मजबूती से निभाना होगा।

ईमानदारी



अशोक कुमार महतो

कहानी के पिछले अध्याय में आपने देखा कि निर्धन परिवार में जन्मे मनोज के पिता आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए भी मनोज को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। उसके अच्छे भविष्य के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं अपनी इच्छाओं का गला घोट वह इस उम्मीद में उसकी शिक्षा को सबसे पहले रखते हैं कि वह बड़े होकर परिवार की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सके। मनोज भी एक आदर्श बेटे के सभी गुण लिए हैं वह परिवार की आर्थिक स्थिति से भलीभांति अवगत है और खूब मेहनत करता है दिन-रात अपने पिता को काम करता देख वह पढ़ाई मन लगाकर करता है। सब सही चल ही रहा होता है कि अचानक एक समस्या आ जाती है जिससे उसे अपने पिता के सपने टूटते हुए प्रतीत होते हैं, वह खुद को लाचार महसूस करता है जब अध्यापक द्वारा फीस मांगने पर वह ला पाने में सक्षम नहीं होता और न ही यह बात अपने पिता को बता पाता है। वह बिना फीस के अगले दिन विद्यालय जा रहा होता है और उसके मन में कई प्रश्न चल रहे होते हैं तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जो उसके जीवन को बदल के रख देता है।

थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक मोड़ आया या यूँ कहो की उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया मनोज जैसे ही मुड़ा उसे सड़क पर एक लिफाफा गिरा हुआ दिखा जिसमें कुछ नोट बाहर निकले हुए नजर आ रहे थे मनोज ने डरते-डरते वह लिफाफा उठाया और उसे खोला तो वह पूरा लिफाफा पैसों से भरा हुआ था पैसे काफी मात्रा में थे। मनोज का खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था वह इतना खुश था की खुशी के मारे बड़बड़ा रहा था उस लिफाफे में इतने पैसे थे कि वह साल भर की फीस एक साथ जमा कर सकता था। फिर भी काफी पैसे

बच जाते। मनोज मन-ही-मन में सोच रहा था की भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है आज उसने देख भी लिया। वह सोचने लगा कि वह इन पैसों से फीस जमा कर देगा और अपनी माँ को अच्छे डॉक्टर से दिखाएगा अगर पैसे बचे तो अपने और अपने भाई -बहन एवं अपने पिता के लिये कपड़े खरीदेगा और मुसकुराने लगा उसकी आंखों में अभी भी आँसू बह रहे थे लेकिन यह आँसू खुशी के थे मन-ही-मन मुसकुराते हुए आगे चलने लगा पैसे मिल जाने के बाद मानो उसके अंदर से ईमानदारी की जो भावना थी मानो वह पूरी तरह खतम ही हो गई तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक व्यक्ति उसी की तरफ आ रहा था वह व्यक्ति थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि वह बार-बार अपनी जेब चौंक करता कभी सड़क के दोनों तरफ देखता मानो उस व्यक्ति का कुछ गिर गया हो। और वह बेचौन होकर उसे घूर रहा हो। जब वह व्यक्ति मनोज के पास आया तो मनोज ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो क्या दिक्कत है।



पहले तो उस व्यक्ति ने मनोज को देखा और कहा कि उसका पैसो से भरा लिफाफा गिर गया है जिसमें दो लाख रुपये थे। पहले तो मनोज डर गया क्योंकि पैसे तो उसके पास थे, जिसे पाकर उसने बहुत सारे सपने देखे थे। उसके मन में आया कि वह मना कर दे कि उसने कोई लिफाफा नहीं देखा। शायद कोई अन्य व्यक्ति वह लिफाफा ले गया होगा। मनोज यह बोलने ही वाला था लेकिन वह रुक गया उसे आत्मग्लानि महसूस होने लगी कि कैसे वह लालची हो गया और किसी और की अमानत को अपना समझने लगा। मनोज ने वह पैसे उस व्यक्ति को वापिस कर दिये और वहां से जाने लगा तो उस व्यक्ति ने मनोज से पूछा कि दो लाख रुपये बहुत होते हैं तुम इन पैसो को लेकर जा सकते थे। परंतु तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मनोज ने कहा कि उसके मन में भी यह बात आई थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन जो मेरा नहीं है मैं उसे नहीं ले सकता। इसलिये मैंने यह पैसे आपको वापिस कर दिये हैं।

मनोज उस व्यक्ति को नहीं जानता था परंतु वह व्यक्ति मनोज को पहचान गया था। मनोज वहां से अपने स्कूल के लिये निकल गया। वह जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल की घंटी

बज चुकी थी सारे विद्यार्थी सुबह की प्रार्थना के लिये एकत्रित हो रहे। मनोज भी जल्दी से अपनी कक्षा की पंक्ति में खड़ा हो गया। प्रार्थना समाप्त होने के पश्चात मनोज ने देखा कि जो व्यक्ति उसे रास्ते में मिला था वह स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ मंच पर आ रहा है। पहले तो मनोज को कुछ समझ नहीं आया फिर जब प्रधानाचार्य ने बच्चों से उस व्यक्ति का परिचय कराया तो पता चला की वह व्यक्ति इस स्कूल का मालिक है।

प्रधानाचार्य ने जब उस व्यक्ति को बच्चों से बातें करने को कहा तो उस व्यक्ति ने सुबह हुई सारी बातें सभी को बता दी। सभी यह जान कर चौक गए की कैसे मनोज ने इतनी बड़ी रकम वापिस कर दी। इस व्यक्ति ने यह ऐलान किया कि अब से वह मनोज की पढ़ाई का खर्च वह व्यक्ति खुद उठायेगा। जब तक मनोज पढ़ाई करना चाहे। मनोज यह सुनकर बहुत हैरान एवं खुश हो गया। मनोज ने उस आदमी के पैर पकड़ लिये। उस आदमी ने मनोज को उठाते हुए कहा कि यह सब उसकी ईमानदारी की वजह से हुआ है। इसके बाद मनोज बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अधिकारी बना एवं अधिकारी बनने के बाद उसने अपने सारे सपने पूरे किए।

“यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और
जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।”

– लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

मानक भाषा की संकल्पना और हिन्दी



श्री राजकुमार तिवारी, हिंदी अधिकारी

किसी भी राष्ट्र अथवा देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता रहती है जो विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में संप्रेषण साधन की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। इसके लिए यह भी जरूरी है कि वह भाषा क्षेत्रीय तथा सामाजिक विविधताओं से ऊपर उठकर सर्वग्राह्य और सर्वमान्य हो। वैसे तो किसी भी समाज की संप्रेषण व्यवस्था सर्वमान्य और सर्वग्राह्य भाषा को अपनी सामाजिक प्रक्रिया के भीतर ढूंढ लेती है किंतु उसके सम्यक विकास और प्रसार के लिये उसके नियोजन की भी आवश्यकता पड़ती है—भाषा नियोजन का यह कार्य दो दिशाओं में प्रवृत्त होता है—एक, मानकीकरण और दूसरा, आधुनिकीकरण। इन दानों के लक्ष्य और साध्य तो एक होते हैं किंतु इनके उपकरण व साधन अलग अलग होते हैं मानकीकरण रूपात्मक एकीकरण की प्रक्रिया है जिसमें व्याकरणिक रूपों को अनेकता में एकता के आधार पर मानक बनाया जाता है और आधुनिकीकरण प्रकार्यात्मक विविधता की प्रक्रिया है जिसमें भाषिक रूपों को विभिन्न संदर्भों में लाने का प्रयास रहता है। इससे भाषा को आदर्श रूप प्राप्त होता है और वह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होत है। भाषा के इसी आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है।

मानक भाषा पर विचार करने से पहले मानक भाषा और मानकीकृत भाषा के अंतर विचार करना समीचीन होगा, क्योंकि आजकल विद्वान् इनमें भेद करते पाए जाते हैं। वास्तव में मानक भाषा अपने प्रयोक्ताओं की उस प्रतीकात्मक भावना को व्यक्त करती है, जिसका संबंध एकीकरण, विशिष्टीकरण और प्रतिष्ठा के साथ होता है। यह भाषा अपने भाषा समुदाय को एकीकृत करती है, उसके प्रयोक्ताओं को अभिव्यक्ति

प्रदान करती है और उन्हें पद प्रतिष्ठा से युक्त करती है। हिन्दी और ब्रज का उदाहरण लें तो हमें हिन्दी में उपर्युक्त तीनों बातें मिल जाएंगी। जहां तक मानकीकृत भाषा का संबंध है, वह भाषा रूपों के विकल्पों के भीतर से किसी एक के चयन तथा उसको मानक रूप में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया है। इसमें भाषा का एक प्रकार से नियमन (कोडीकरण) होता है। और इसके व्याकरणिक रूप परिष्कृत एवं परिनिष्ठित होते हैं। चूंकि भाषा में प्रयोग के कई विकल्प होते हैं जिसमें से मानकीकृत भाषा किन्हीं एक दो मानक रूप में स्वीकार कर लेती है और शेष रूपों को अमानक या मानकच्युत मानकर पीछे छोड़ देती है, इसीलिए यह भाषा रूप अपने प्रयोग क्षेत्र में (विशेषकर शिक्षा के संदर्भ में) शुद्ध माना जाता है और शेष रूप प्रायः अशुद्ध घोषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका मापदंड मानकीकरण के अनुपात और लेखन में उसके उपयोग के आधार पर किया जाता है इसलिए मानकीकृत भाषा मानक भाषा का एक रूप ही है जिसमें संरचनात्मक एकरूपता के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। वास्तव में भाषा की मानकता मुख्य रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है न कि संरचनात्मक एकरूपता से, क्योंकि इस मानक प्रयोग का आधार शिक्षित व्यक्तियों का शिष्ट भाषा प्रयोग होता है।

मानक भाषा का स्वरूप और प्रकृति

मानक भाषा संरचनात्मक दृष्टि से अपनी भाषा के विभिन्न रूपों में से किसी एक रूप या एक बोली पर आधारित होती है। इसके मानक बनते ही इसकी बोलीगत विशेषताएं लुप्त होने लगती हैं और वह क्षेत्रीय से अक्षेत्रीय हो जाती है। इसका

कोई निर्धारित सीमा क्षेत्र नहीं होता और न ही वह किसी भाषाभाषी समुदाय की मातृभाषा कहलाती है। हमारे सामने हिन्दी का मानक रूप है। यह मानक रूप हिन्दी की खड़ी बोली से विकसित हुआ है। इस रूप में खड़ी बोली की बोलीगत विशेषताएँ लुप्त हो गई हैं और यह रूप खड़ी बोली से उतना ही अलग जान पड़ता है जितना वह भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि अन्य बोलियों से। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली, भोजपुरी ब्रज, अवधी आदि के अपने भाषाभाषी समुदाय हैं और इनका अपना सीमा क्षेत्र है और इनके बोलने वाले इन्हें अपनी मातृ भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं किन्तु हिन्दी के मानक रूप के संबंध में इस प्रकार की संकल्पनाएँ कुछ अलग सी हैं। हिन्दी क्षेत्र में विभिन्न बोलियों के बोलने वाले उसे उसी प्रकार की मातृभाषात् अवश्य मानते हैं अर्थात् वे उसे 'सहमातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं।

संरचना की दृष्टि से मानक भाषा में आंतरिक संशक्ति होती है और वह प्रयोग की दृष्टि से काफी व्यापक होती है। इन दोनों अभिलक्षणाओं से मानक भाषा का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। वास्तव में मानक भाषा का प्रयोग क्षेत्र जितना विस्तृत होता जाएगा उसकी संरचना में अधिकतम समरूपता बनी रहेगी। इसीलिए व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण इसकी आंतरिक संशक्ति की अपेक्षा रहती है। शब्दोच्चारण, शब्दरूपों और वाक्य विन्यास को स्थिरता देने का प्रयास रहता है। इसमें एक शब्द का एक ही उच्चारण और एक ही वर्तनी की अपेक्षा रहती है। इसका एक ही व्याकरणिक ढांचा होता है। इस आंतरिक संशक्ति या भाषिक एकरूपता से संप्रेषणीयता में व्याघात उत्पन्न नहीं होता और इसीलिए वह सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करती है। किन्तु यह एकरूपता तभी संभव होती है जब भाषा के रूप में स्थिरता पाई जाए और उसमें भाषायी परिवर्तन कम से कम हों। यदि व्यावहारिक दृष्टि से

देखा जाए तो जीवंत भाषा का अपरिवर्तनशील रहना संभव नहीं है। वास्तव में संरचनात्मक एकरूपता और प्रयोगात्मक बहुरूपता एक दूसरे की विपरीत स्थितियाँ हैं और वे दोनों एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। संरचनात्मक एकरूपता या स्थिरता भाषा के व्यवहार क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास करती है और विस्तृत व्यवहार क्षेत्र संरचना की एकरूपता को खंडित करने में अग्रसर रहता है हमारे सामने उदाहरण है संस्कृत का। संस्कृत की संरचनात्मक एकरूपता को लाने से उसकी जीवंतता समाप्त हो गई और उसका व्यवहार क्षेत्र सीमित हो गया। इधर हिन्दी का व्यवहार क्षेत्र व्यापक हो जाने से इसके कई रूप उभरने लगे हैं। कहीं बंबईया हिन्दी के दर्शन होते हैं, तो कहीं कलकतिया हिन्दी के। कहीं पंजाबी से प्रभावित हिन्दी दिखाई देती है तो कहीं भोजपुरी से। इसी दृष्टि में ये दोनों स्थितियाँ भाषा को मानक रूप देने में बाधा उत्पन्न करती हैं अतः मानकीकरण की प्रक्रिया में संरचनात्मक एकरूपता और प्रयोगात्मक बहुरूपता में संतुलन बाने रखना महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है यदि मानक भाषा सतत लचीलेपन और तार्किकता के गुण से युक्त है। इससे वह सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुरूप ढलती चलती है। इस लचीलेपन का आधार बोलचाल की भाषा है बोलचाल की भाषा पर आधारित मानक भाषा क्षेत्रीय बोली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। इसके अतिरिक्त वह औद्योगिक, बहुधर्मी, बहुभाषिक समाज के भीतर विषय एवं शैली की दृष्टि से आदान प्रदान करती है जिससे उसकी स्थिरता का टिक पाना संभव नहीं है। इसलिए इसकी इसकी स्थापना में लचीलेपन की अपेक्षा रहती है ताकि वह 'परस्पर अनुवादकता' की स्थिति में आ जाए।

उपर्युक्त चर्चा से हम देखते हैं कि भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में चार बातें मुख्य रूप से रहती हैं -

- (1) चयन
- (2) संसक्ति
- (3) प्रयोग और
- (4) स्वीकृति।

विभिन्न भाषा रूपों और बोलियों में किसी एक का चयन किया जाता है। इस चयन के कई कारण होते हैं— शासन का बल, धर्म का आश्रय, साहित्य की श्रेष्ठता आदि। इस चयन में किसी बात का आग्रह या आधार नहीं होता कि किस-किस भाषारूप का चयन किया जाए। फिनलैंड में मानक भाषा का आधार वहां की बोलचाल की बाली को अपनाया गया तो इजरायल में क्लासिकल भाषा हिब्रू को। हिन्दी क्षेत्र में मध्यकाल में ब्रज अवधी धर्म और साहित्य की भाषा थी किंतु आधुनिक काल में खड़ी बोली का चयन किया गया। इसी खड़ी बोली में साहित्य रचना होने से उसके रूप स्थिर होने लगे और वह मानक भाषा के रूप में प्रस्फुटित होकर अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर अक्षेत्रीय होने लगी। बाद में इसे शासन का बल मिला और आज की मानक भाषा जनसाधारण की भाषा बन गई इस चयन में अन्य बोलियों को अपना बलिदान करना पड़ता है और वे बेचारी अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाती हैं। किंतु मानक भाषा को उनका सहयोग लेकर चलना पड़ता है ताकि उसका शब्द भंडार समृद्ध हो जाए और वह अक्षेत्रीय होकर राष्ट्रभाषा के पद तक पहुंच पाने की स्थिति में आ जाए।

संरचनात्मक संसक्ति में लेखन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह न केवल भाषा में स्थायित्व लाता है वरन् व्याकरणिक रूपों में एकरूपता बनाए रखने में सहायता भी करता है। विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में बोलियों के प्रभाव से भाषा का उच्चरित रूप समान नहीं हो पाता, अतः लिखित रूप उस विविधता को मिटाने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त

लिखित रूप व्याकरण से अनुशासित होने के कारण भाषा की संरचना में एकरूपता बनाए रखता है। इंग्लैंड, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों में अंग्रेजी के उच्चरण और व्याकरणिक रूपों में भिन्नता मिल सकती है किंतु उसके लिखित रूप में एकरूपता काफी हद तक दिखाई देती है।

जब भाषा का मानक रूप विकास की स्थिति में आ जाता है तो उसके प्रयोग का व्यवहार क्षेत्र में विस्तार होने लगता है। वह विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, शासन आदि विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त होने लगता है। वह लोक साहित्य के ऊपर उठकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का भी उसमें सृजन होने लगता है और यहां तक कि मौलिक साहित्य का भी उसमें सृजन होने लगता है। अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद होना भी शुरू हो जाता है। हिन्दी का मानक रूप इस समय इसी स्थिति में आ गया है।

मानक भाषा के विभिन्न प्रयोजनों एवं व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त होने से समाज उस रूप को स्वीकार कर लेता है। इस भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले अन्य भाषाभाषियों के साथ इसी रूप का प्रयोग करते हैं और आपस में इस रूप का प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठा का अनुभव करते हैं। साहित्य, कार्यालय, विधि, विज्ञान, चिकित्सा, पत्रकारिता, वाणिज्य आदि विभिन्न प्रयोजनों में समाज उसका प्रयोग करने लगता है इससे उसकी अभिव्यंजना शक्ति में भी वृद्धि होती है। इसके स्वीकार हो जाने से इसे शिक्षा के माध्यम रूप में अपना लिया जाता है।

मानक भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया केवल कार्य नहीं करती वरन् उसमें ऐतिहासिकता, जीवंतता और स्वायत्ता के लक्षण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐतिहासिकता से अभिप्राय है कि यह भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से अर्जित संस्कार के रूप में आती है।

इसके निर्माण और विकास में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता वरन् पीढ़ी दर पीढ़ी यह सहज और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती आती है। इसमें इसकी अपनी लिखित परंपरा, अपनाजातीय इतिहास और अर्जित संस्कर होता है। भाषा तभी जीवंत होती है जब उसके प्रयोग करने वाले हों और अपनी भाषा के रूप में ग्रहण करते हों। जिस भाषा का अपना समाज नहीं होता और समाज उसे अपनी भाषा स्वीकार नहीं करता तो वह भाषा जीवित नहीं रह पाती। उसका समाज ही उसे जीवित रख सकता है और उसके जीवित रहने में उसका विकास सहज रूप से होता है। इसलिए मानक भाषा में जीवंतता का होना आवश्यक है। यदि भाषा में मानकता, ऐतिहासिकता और जीवंतता होती है तो वह अपने आप विशिष्ट और स्वतंत्र हो

जाती है। वह किसी अन्य भाषा व्यवस्था पर आधारित नहीं रहती वरन् अपनी स्वायत्त सत्ता बनाये रखती है। हम देखते हैं कि यदि हिन्दी का मानक रूप मूलतः खड़ी बोली पर आधारित है किंतु वह अपनी भाषिक व्यवस्था और प्रकार्य के संदर्भ में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। वास्तव में बोली में ऐतिहासिकता और जीवंतता तो होती है किंतु मानकता और स्वायत्ता नहीं होती और क्लासिकल भाषा में मानकता, ऐतिहासिकता और स्वायत्ता होती है किंतु जीवंतता नहीं होती है। बोलचाल की भाषा में ऐतिहासिकता, जीवंतता और स्वायत्ता होती है और जब उसका मानकीकरण हो जाता है तो वह मानक भाषा के पद पर अभिषिक्त हो जाती है।

“प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में
जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी,
उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती।”

– सुभाषचंद्र बोस

अध्यापक (कविता)



चाँदनी कुमारी, आशुलिपिक

जब पहला पग पड़ा विद्यालय में
तब मैं कोरा पन्ना था,
मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके
एक अच्छा इन्सान बनना था,
हां, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने
और सिखाई हर नई बात मुझे
अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में
मैं नमन करूंगा आज उन्हें॥
के तेरे उपकारों को ऐ अध्यापक
हम जन्मों तक न भूलेंगे
याद आयेगी बहुत तुम्हारी
जब कामयाबी का झूला झूलेंगे
दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो
हमे संस्कारों का महत्व सिखाते हो
भटके हुए हर राही को
सफलता का मार्ग दिखाते है।
नजर सब पर एकसमान हो
ना कभी शिष्यों में भेदखभाव करते हो
किसी नादान से गलती हो जाए
तो सीख देकर माफ करते हैं
हम में छुपे गुणों को तराशकर
हम पर हुनर का रंग चढ़ाते हो
हर शिक्षक खुद में एक संस्था है
जो देश को आगे बढ़ाते है।

मेडिकल बिल



बबीता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

हाय रे! मेडिकल बिल तू इतना क्यूँ आए,
दिन-रात देखो मेरा ही काम बढ़ाए।
न तो तू खुद ही शांत होता है,
तुझे देख-देख कर मेरा दिल रोता है
मैं चाहकर भी तुझसे भाग न पाऊं
खाना भी मैं दिन में एक बार खाऊँ
तूने तो मेरे दिन-रात का चौन छीन लिया
बदले में मुझे बस ऑनलाइन मूवी का चस्का दिया
मैं बस अब सबको नई-नई मूवी दिए फिरता हूँ
तेरी वजह से मैं न जाने अंदर-ही-अंदर कितना
चिढ़ता हूँ
जब भी कोई मेल आए
मेरा मन बस यही दोहराए
देख साहिल! नया बिल आया है
कुर्सी कस ले बेटा! आज फिर तूने खाना कम खाया है
हाय रे! मेडिकल बिल तू इतना क्यूँ आये.....





सचिन सिवाच (लेखक परीक्षक)

आत्म-खोज की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से आउटसोर्स हो गई है

आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है, और आत्म-खोज की प्रक्रिया भी इससे अछूती नहीं रही है। आत्म-खोज, जो कभी व्यक्तिगत अनुभव, आत्म-चिंतन और गहरे विचारों का परिणाम हुआ करती थी, अब तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से होती दिख रही है।

पारंपरिक रूप से आत्म-खोज एक गहन और व्यक्तिगत प्रक्रिया थी। इसमें व्यक्ति खुद को समझने, अपनी पहचान खोजने और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए समय और प्रयास लगाता था। आत्म-चिंतन और ध्यान आत्म-खोज के महत्वपूर्ण उपकरण थे। लोग एकांत में समय बिताकर अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करते थे। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करता था। पुस्तकें, साहित्य और दर्शनशास्त्र आत्म-खोज में सहायक होते थे। महान विचारकों और दार्शनिकों के विचारों को पढ़कर व्यक्ति अपनी पहचान और उद्देश्य को समझने की

कोशिश करता था। यात्रा और जीवन के विविध अनुभव आत्म-खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नई जगहों पर जाकर और विभिन्न संस्कृतियों को समझकर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण का विस्तार करता था।

तकनीकी प्रगति ने आत्म-खोज की प्रक्रिया को काफी हद तक बदल दिया है। अब व्यक्ति विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों और उपकरणों के माध्यम से आत्म-खोज करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लोग अपनी पहचान बनाने और दिखाने का प्रयास करते हैं। वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा करके अपनी पहचान को समझने और व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया कभी-कभी सतही हो सकती है और वास्तविक आत्म-खोज के बजाय दिखावे पर आधारित होती है। अब कई डिजिटल थैरेपी प्लेटफार्म और ऐप्स उपलब्ध हैं जो आत्म-चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये ऐप्स मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ संवाद, ध्यान के लिए निर्देशित सत्र और आत्म-चिंतन के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। यह तकनीक आत्म-खोज में सहायक हो सकती है, लेकिन यह पारंपरिक व्यक्तिगत अनुभव और गहन आत्म-चिंतन की जगह नहीं ले सकती। ऑनलाइन समुदाय और फोरम आत्म-खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोग विभिन्न ऑनलाइन समूहों में शामिल होकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं और अन्य लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। यह अनुभव आत्म-खोज में सहायक हो सकता है, लेकिन यह भी तकनीकी मध्यस्थता के कारण



कभी-कभी व्यक्तिगत संपर्क और अनुभव की गहराई को कम कर सकता है।

तकनीकी माध्यमों पर आत्म-खोज अक्सर सतही हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहचान बनाने की प्रक्रिया दिखावे पर आधारित होती है और वास्तविक आत्म-खोज की गहराई को प्रभावित कर सकती है। डिजिटल उपकरण और प्लेटफार्म आत्म-खोज में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सोशल मीडिया पर तुलना और मान्यता की खोज मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। तकनीकी आउटसोर्सिंग के कारण आत्म-खोज की प्रक्रिया में प्रामाणिकता की कमी हो सकती है। व्यक्ति वास्तविक आत्म-चिंतन और आत्म-विश्लेषण के बजाय तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भर हो सकता है।

आत्म-खोज की प्रक्रिया का तकनीकी आउटसोर्सिंग एक जटिल और विवादास्पद विषय है। जबकि तकनीकी प्रगति आत्म-खोज में कुछ हद तक सहायक हो सकती है, यह पारंपरिक व्यक्तिगत अनुभव, गहन आत्म-चिंतन और वास्तविक अनुभव की जगह नहीं ले सकती। आत्म-खोज एक गहन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसे तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। तकनीक का सही और संतुलित उपयोग सहायक हो सकता है, लेकिन इसे पारंपरिक तरीकों का प्रतिस्थापन नहीं मानना चाहिए। हमें आत्म-खोज की प्रक्रिया को प्रामाणिक और गहन बनाए रखने के लिए तकनीकी प्रगति और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच संतुलन बनाना होगा। केवल तभी हम वास्तविक आत्म-खोज कर सकेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य और पहचान को समझ सकेंगे।

“अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिये
ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का
अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है।”

– महात्मा गाँधी



सचिन सिवाच (लेखक परीक्षक)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा।

मानवाधिकार एवं अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है, पर संविधान की रक्षा कौन करता है? जो संविधान की रक्षा करता है उसके मानवाधिकारों की रक्षा की बात क्यों नहीं की जाती? उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या? इस संबंध में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न सिर्फ अधिकार है बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है, जिसे भारत के धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, उपन्यासों आदि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के स्वरूपों की बात की जाए तो इसमें किताब, चित्रकला, नृत्य, नाटक, फिल्म निर्माण तथा वर्तमान में सोशल मीडिया को सम्मिलित किया जाता है। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है।

हालाँकि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता बिना निर्बंधन के अपने व्यापक रूप में नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब अपनी सीमा का उल्लंघन करती है तो सामाजिक अराजकता का कारण बनती है। समाज को अराजकता से बचाने के उद्देश्य से इस पर सीमित मात्रा में तार्किक प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं, जहाँ प्रक्रिया एवं विषय-वस्तु दोनों का तार्किक होना अनिवार्य है। संविधान द्वारा इस पर लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, सदाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि के आधार पर प्रतिबंधों को आरोपित किया गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग लोगों द्वारा स्वयं को लाइम-लाइट में लाने एवं अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु करना भी आम हो गया है। इसके अलावा आतंकी समूहों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग भर्तियों एवं आतंकी



गतिविधियों के संचालन हेतु करना ऐसी समस्याएँ हैं जिन्होंने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती दी है बल्कि सरकार द्वारा इससे निपटना अत्यंत कठिन बना दिया है। वर्तमान युग में फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक रूप प्रदान किया है, जहाँ हर मुद्दे पर लोगों द्वारा खुलकर अपनी राय रखी जाती है, फिर चाहे मामला सरकार विरोधी हो या समलैंगिक संबंधों के मामले में समाज तथा रूढ़िवाद विरोधी, जिसके कारण आज आए-दिन किसी-न-किसी लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर की हत्या का मामला सामने आ रहा है। गौरी लंकेश जो कि भारतीय पत्रकार एवं बंगलूरू समर्थित एक एक्टिविस्ट थी, की 2017 में हिंदू अतिवाद की आलोचना के कारण हत्या कर दी गई थी।

लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें से किसी पर भी आँच आने पर दूसरा स्वतः ही विलुप्ति की कगार पर पहुँच जाता है, जो जनमत पर तानाशाही की स्थापना को बढ़ावा देता है। पत्रकारिता के संबंध में अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना आवश्यक है। इसी प्रकार घृणा-संवाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। मजबूत लोकतंत्र हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी सीमा का तय होना भी आवश्यक है। इन दोनों में पूरकता के संबंध को स्वीकार करते हुए बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सके, समाज समावेशी बने एवं विश्व में भारतीय संविधान जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु प्रसिद्ध है, की गरिमा बरकरार रहे।

“सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है।”

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर



जी.डी.पी. और भारत ?

सचिन सिवाच (लेखक परीक्षक)

यह सर्वविदित है कि आँकड़ों में अभी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और चीन भी फिलहाल जी.डी.पी. प्रतिशत वृद्धि में हमसे पीछे है। अब सवाल यह उठता है कि पिछली दो दशकों में हुई जी.डी.पी. वृद्धि या भविष्य में होने वाली अपेक्षित तीव्र वृद्धि सम्पूर्ण भारत के विकसित स्वरूप को बयाँ करती है या फिर इससे सिर्फ़ इंडिया ही लाभान्वित हो रहा है और भारत कहीं पीछे छूट गया है।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक, मुकेश अम्बानी की आय विश्व के 19 देशों से अधिक है, वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि देश की 30-35 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही है, वहीं 30% आबादी कुपोषण से पीड़ित है और 35% लोग अभी तक निरक्षर हैं। क्या इस स्थिति को देश का सम्पूर्ण विकास कहा जा सकता है? वैसे, वास्तविकता

तो यह है कि जी.डी.पी. वृद्धि को विकास का एकमात्र पैमाना कहना भी उचित नहीं है। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि जी.डी.पी. वृद्धि का फायदा किस वर्ग को मिला है, इससे किस हद तक सामाजिक और आर्थिक बदलावा आया है, मानवीय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और सर्वांगीण रूप से देश कितना आत्मनिर्भर हो पाया है, तो संभवतः इस बात की पड़ताल हो सकती है कि क्या जी.डी.पी. में वृद्धि को देश के सम्पूर्ण विकास का सूचक माना जाए या नहीं।

जब सकल घरेलू उत्पाद के आकार की बजाय आम लोगों के जीवनयापन के स्तर को देखा जाता है तो देश की स्थिति कुछ और ही नजर आती है। बिना सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किये हम कैसे विकास का दावा कर सकते हैं? आजादी के 80 साल होने को हैं और अभी भी 30-35% आबादी गरीब है। गरीबी में क्षेत्रीय विषमता है। बिहार, बंगाल,



ओडिशा, झारखण्ड, राजस्थान जैसे राज्य में गरीबों की मौजूदगी ज्यादा है। जी.डी.पी. वृद्धि में भी असमानता है— गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे अगड़े राज्य जी.डी.पी. में ज्यादा योगदान देते हैं। परंतु जी.डी.पी. वृद्धि दिखाने वाले राज्यों में भी सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता है। अतः यह कहना कि देश की जी.डी.पी. वृद्धि समानता बढ़ाती है, ऐसा भी नहीं है।

जी.डी.पी. वृद्धि के बावजूद हमारा मानव विकास सूचकांक वैश्विक स्तर पर अत्यंत दयनीय है। अगर हम अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, हवा नहीं दे पा रहे हैं तो जी.डी.पी. वृद्धि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मानव विकास सूचकांक 2023 में हमें 193 देशों में 134वें स्थान पर जगह मिली है। इस मामले में हम वैश्विक औसत के भी नीचे हैं।

पुनः प्रति व्यक्ति आय और जी.डी.पी. वृद्धि को अक्सर सरकार के द्वारा खुशहाली के रूप में पेश किया जाता है, परंतु जब खुशहाली सूचकांक के रूप में देखा जाए, तो हम बहुत पिछड़े नजर आते हैं। गौरतलब है कि जी.डी.पी. वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय को अगर महँगाई के संदर्भ में देखा जाए, तो

यह वृद्धि मात्र मृग मरीचिका ही साबित होती है। कई बार तो नकारात्मक पहलुओं को जी.डी.पी. वृद्धि द्वारा ढकने का भी प्रयास किया जाता है।

जी.डी.पी. वृद्धि हो रही है, फिर भी कोर्पोरेट जगत सरकारी कर्जों को दबाए बैठा है। बैंक के निवेश गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में बदल रहे हैं। एक तरफ देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश की 75% आबादी 20 रुपए या कम में गुजारा कर रही है, हर चौथा भारतीय भूखा है, किसान कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं।

किसी देश के लोगों की खुशहाली से जी.डी.पी. का कोई रिश्ता नहीं है। खुशहाली सूचकांक में हम नीचे हैं। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि क्यूबा जैसे देश का जी.डी.पी. नीचा है परंतु उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ऊँचा है। ऊँची जी.डी.पी. वृद्धि दर का असमानता घटने से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिये निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जी.डी.पी. वृद्धि विकास का एक सम्पूर्ण पैमाना नहीं हो सकता, पर विकास के लिये जी.डी.पी. वृद्धि जरूरी है।

“जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।”

– डॉ. राजेंद्र प्रसाद

इन्सान की फितरत



चाँदनी कुमारी, आशुलिपिक

बना कर इन्सान को खुदा भी हँसा
सोचा, अरे! ऐसा इन्सान मैंने कब रचा।
इंसान की फितरत को पहचानते हैं परिंदे
वे भी समझते हैं इनको दरिंदे
जिसकी फितरत हमेशा बदलने की थी
मैंने ऐसी रचना ही क्यों की?
मैंने दिमाग दिया कुछ नया करने के लिए
वो लगा बैठा इसे अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए
मैं भी अब अकेला सा पड़ गया।
अपनी रचना में मैंने यह क्या गढ़ दिया?
ये इंसान था, हैवान कैसे हो गया?
अरे ! इसने तो मेरा भी मोल ठोक दिया।
मेरी आड़ लेकर ये पैसा कमाने लगा है
अरे ! इसे देखकर अब मुझे भी रोना आने लगा है
इसकी भाषा में एक अभिलाषा है,
अब ये दूसरों के रक्त का क्यों प्यासा है?
इसकी आँखों में क्यों दरिंदगी है?
क्या यही इसकी बंदिगी है?
क्यों अक्ल पर इसकी ताले जड़े हैं।
मैं इसे बनाकर पछता गया
इसने मेरे ही घर पर कब्जा जमा लिया
यदि इसकी फितरत नहीं बदलेगी
तो ये दुनिया मुझे भी खलेगी
बाद में दोष न लगाना
क्योंकि पड़ेगा बहुत पछताना।

जिंदगी



सुश्री आशा शर्मा, डी.ई.ओ

चलो हंसने की कोई, हम वजह ढूँढते हैं,
जिधर न हो गम कोई, वो जगह ढूँढते हैं!
बहुत उड़ लिये ऊँचे आसमानों में यारों,
चलो जमी पर ही कोई, हम सतह ढूँढते हैं!
छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में,
चलो उनके दिल की, हम गिरह ढूँढते हैं!
बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में,
चलो अँधेरी रात की, हम सुबह ढूँढते हैं!!!



एक बेटी की पुकार



चाँदनी कुमारी, आशुलिपिक

कहने को हम भी देश का मान हैं
हम भी किसी की संतान हैं।
पर देखिए हमारे होने से माँ-बाप क्यों परेशान हैं।
हम भी गुणों की खान हैं।
पढ़-लिखकर बन जाती महान हैं।
फिर भी हमारे जन्म लेने से माँ-बाप हैरान हैं।
पत्थरों से तराशी देवी की पूजा करते हैं।
पर हम जीवित देवियों को अनदेखा करते हैं।
हमारा भी तो इस संसार में योगदान हैं।
फिर क्यों हमारे जनक परेशान हैं।
हम रोटों को हँसाती हैं।
अपना दर्द नहीं बताती हैं।
तूफानों से टकराती हैं।
फिर भी अबला कहलाती हैं।
किस समाज की हम पहचान हैं।
हम भी तो पापा की जान हैं।

हमें खुद ही अपने में हिम्मत जुटानी होगी
नहीं तो हमें अपने जन्म लेने पर हैरानी होगी
माँ बाप को बेटों पर सिर्फ सोचना अब नादानी होगी
हमें भी तो सफल होने की कहानी बनानी होगी
हम भी उस खुदा की पहचान है।
कि हमें देखकर अब जब हैरान हैं।
आप कहीं-कहीं हम अपने पापा की परी है
क्योंकि आज हम अपने पांवों पर खड़ी हैं।
आज अबला नहीं सबला हैं।
आज माफी नहीं एक बला हैं
अगर आप माँ-बाप हैरान हैं
क्योंकि अब हम भी उनकी पहचान हैं।
और आज माँ-बाप के लिए हम गुमान हैं।
हमारे जन्म से माँ- बाप नहीं दुनिया हैरान हैं।
यही हमारी पहचान हैं।

“हिंदी जिस दिन राजभाषा स्वीकृत की गई उसी दिन
से सारा राजकाज हिंदी में चल सकता था।”

– सेठ गोविंददास



साहित्य का समाज में महत्त्व

प्रवीन, वरिष्ठ लेखा परीक्षक

साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है, कि साहित्य में विश्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते- बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर, उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है। जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनशीलता के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय-समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएँ समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं।

उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। किन्तु होना चाहिए क्या कुछ कहा? व्यक्त करती है इसी को तो कला साहित्य समाज में रहने वाले व्यक्ति को समय से पीछे हटने और पृथ्वी पर जीवन के बारे में उन लोगों से सीखने की अनुमति देता है जो हमसे पहले चले थे। हम संस्कृति की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी अधिक सराहना कर सकते हैं। आधुनिक समाज में साहित्य के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। साहित्य प्रत्येक लेखक/ साहित्यकार के लिए अभिव्यक्ति के रूप में काम करता है। साहित्यकार की रचनाएं समाज का दर्पण होती हैं और हमें उस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है जिसमें हम रहते हैं।

मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्त्व है क्योंकि साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को साहित्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर युग में साहित्यकारों के द्वारा साहित्य लिखा जाता है। साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं जैसे की खंडकाल कहानी, महाकाव्य, नाटक आदि। साहित्य के माध्यम मैं हमें राजनीति साहित्य विज्ञान साहित्य, इतिहास आदि पढ़ने को मिलता है। साहित्य ने मनुष्य जीवन को सरल बनाया है। साहित्यकारों का मानना है कि साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी यही मानना था कि जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। साहित्य से ही मनुष्य का जीवन आनंद से भरता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते थे कि साहित्य के माध्यम से ही मनुष्य अच्छा बोलना, सुनना सीखता है, अच्छी बातचीत के गुण साहित्य को पढ़कर ही मनुष्य के अंदर आते हैं।

जिस तरह से एक भवन की नींव नीचे से खड़ी की जाती है एवं नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है और उस नींव पर पूरा भवन खड़ा रहता है उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी साहित्य से मजबूत होता है। प्रेमचंद्र के (गोदान) ग्रामीण किसान 'होरीश की व्यथा-कथा को पढ़कर यह अनुमान हो जाता है कि तत्कालीन जमींदारी प्रथा में किसानों का शोषण किस तरह होता था। साहित्य की आवश्यकता हर समाज में रही है। कहा गया है:-

अन्धकार है, वहां जहां आदित्य नहीं है।

मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है।

कुछ शब्द मेरी कलम से....

श्री के.पी सिंह

1. खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें।
जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है।।
2. किसी ने धूल क्या झोंकी आँखों में,
पहले से बेहतर दिखने लगा है
3. दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो,
दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दो।
4. जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ
मेरी उँगलियाँ ही मुझे सिखाती है
दुनिया में बराबर कोई नहीं है।
5. मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है,
खेत रोड पर हो उसकी कीमत होती है लेकिन आदमी
जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती।
6. मरने के बाद की गयी तारीफ और दिल दुखाने के बाद
मांगी गई माफी का कोई महत्त्व नहीं रहता।।
7. अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता
बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कद्र नहीं
होती...!!
8. हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई “अपनों” से
हो । और जीतना तब आवश्यक हो जाता है
जब लड़ाई अपने आप से है।
9. मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है
हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है ।।
10. जीवन आसन नहीं है, ज्यादा बात करो तो “पागल”
कम बात करो तो, “घमंडी”
काम की बात करो तो, “मतलबी”

आओ तोड़ के लाए चाँद

नाम: निधि, कक्षा: दूसरी

आओ बच्चों, निकलो बाहर
बाहर निकलो लेकर बोरा।
चढ़ पहाड़ पर तोड़ बाँस से
भरे चाँद से अपना बोरा।
चढ़े दूर तक, दूर-दूर तक,
ऊँचे-ऊँचे बहुत दूर तक
तोड़ बाँस से थोड़ा-थोड़ा
भरे चाँद से अपना बोरा।
वहाँ उधर सुन ही के घर पर
दीया भी ना जल पाता है।
घना अँधेरा हो जाने पर
काम न कुछ भी हो पाता है।
आओ बच्चों, आओ बाहर
आओ तोड़ के लाए चाँद।
सुन ही की माँ के कमरे में
लटका दे हम चलकर चाँद।





भारत की शान हिंदी

श्री परिवंदर, डी.ई.ओ

देखो कितनी आसान है॥



बेटे



श्री अजय चौहान, एम.टी.एस

कि बेटियाँ नसीब से
तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं
अजी! हम लड़के हैं जनाब
हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं
आधी उम्र जिम्मेदारियाँ
समझने में गुजर जाती है
तो आधी उसे निभाने में
पूरा बचपन किताबों में गुजरता है
तो जवानी कमाने में
ये जिम्मेदारियाँ उम्र के साथ बढ़ती है
ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता
कभी बेटा बनकर
तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है
कभी खाने के लिए नखरे होते हैं
तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है
कभी माँ की गोद में सोते हैं
तो कभी जिम्मेदारियों के बोझ में
कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं
तो कभी सुकून की खोज में
हम हर किसी की तकलीफें समझते हैं
मगर अपनी तकलीफों का
किसी से जिक्र नहीं करते
जिम्मेदारियों के पीछे इस तरह भागते हैं

कि अपनी ख्वाहिशों की भी फिक्र नहीं करते
हमसे हर किसी से उम्मीद है
मगर कोई हमसे हमारी ख्वाहिशें न पूछे
किसी का मन ही नहीं होता
दिल टूट जाये हमारा
फिर भी मुस्कुराना पड़ता है
चुप-चुप कर रोते हैं
सब से आँसू छुपाना पड़ता है
जिम्मेदारियों के पीछे
हमारा इश्क भी मुकम्मल नहीं होता
घुट-घुटकर जीते हैं
हंसने मुस्कुराने का भी दिल नहीं होता
जिम्मेदारियाँ निभाते-निभाते
हमारे खुद के कोई अरमान नहीं बचते
अपनी ख्वाहिशें दफना देते हैं
क्योंकि हमारी ख्वाहिशों के लिए
असमान नहीं बसते
हम हर किसी का घाव भरते हैं
मगर हमारा कोई मरहम नहीं भरता
अजी ! कौन कहता है जनाब ?
हम लड़कों की जिंदगी में
कोई गम नहीं होता.....



माँ के नाम

सुश्री चाँदनी, आशुलिपिक

1. माँ तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल कर रहा है।
आज तेरा बच्चा तेरे प्यार को तरस रहा है ।
2. हमारा सुख दुःख सब तुम्हारे पास था माँ
मैं कहाँ इतना उदास था माँ
मुझे तब खुद पर एक विश्वास था माँ
3. हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ,
अपने आँचल से ढककर धूप से बचा लेती है माँ,
4. हमारे हर गम की दवा थी माँ,
मुझे कब दूसरे रिश्तों की परवाह थी माँ,

आज दुनिया बेरंग हो गई है पता नहीं
तू कहाँ खो गई है।

आज भी मैं तेरा ही दम भर रहा हूँ
माँ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ।

5. ये दुनिया तपती रेत है माँ
मुझे फिर से उसी आँचल में लपेट ले माँ
मुझे कब जन्मत की आस है ।
कभी- कभी लगता है तू मेरे पास है माँ
6. तेरी याद के बिस्तर पर सो जाता हूँ
खुद रोकर चुप हो जाता हूँ
तेरे दिए संस्कार की दौलत दूसरों पर लुटाता हूँ
पर तेरे बिना अकेला ही रह जाता हूँ
7. माँ ईश्वर तेरा पता बता दे इक बार
कर जाऊंगा हर दुःख का समंदर मैं पार
तेरा मुझ पर है बहुत उपकार
जन्म ले तेरी कोख से हर बार
तेरे बदले में नहीं चाहिए संसार
माँ दे दे अपना ही मुझे प्यार
माँ सुन ले मेरी पुकार।



मुस्कान



श्री राज कुमार तिवारी, हिंदी अधिकारी

एक औरत बहुत महँगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली

डॉ. साहब ! मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है...

उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूँढने में मदद करेंगे?

मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ साफ-सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला - मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूँढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनें।

तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी - मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई।

मेरे पास कोई नहीं था। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था।

मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी।

बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफाचट कर गया।

फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा।

उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई।

तब मैंने सोचा यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले।

इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कि बीमार था, के लिए कुछ बिस्किट्स बना कर ले गई।

हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देख कर मुझे खुशी मिलती थी। आज, मैंने खुशियाँ ढूँढी हैं, दूसरों को खुशी देकर।

यह सुन कर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी।

लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती।

मित्रों!

हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं।

तो आईये आज शुभारम्भ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बनें।

मुस्कुराइए

अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिये सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी।

मुस्कुराइए

अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जायेगा।



मुस्कुराइए

अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिये फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जायेगा।

मुस्कुराइए

अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जायेगा।

मुस्कुराइए

अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिये सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जायेगा और माहौल खुशनुमा हो जायेगा।

मुस्कुराइए

अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा।

मुस्कुराइए

कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराएं, देखिये उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।

मुस्कुराइए

क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है।

मुस्कुराइए

क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी।

मुस्कुराइए

क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा।

मुस्कुराइए

क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं।

मुस्कुराइए

क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है।

मुस्कुराइए

क्योंकि आपकी हँसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है।

मुस्कुराइए

क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते रहते हैं

और सबसे बड़ी बात

मुस्कुराइए

क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता।

इसलिए स्वयं भी मुस्कुराए और औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएं.

मुस्कुराइए क्योंकि यही जीवन है.....

कार्यालय के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां



कार्यालय के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां



कार्यालय के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां





अप्रतिम नुब्रा घाटी, लद्दाख



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
आठवां व नवां तल, सीएजी एनेक्सी भवन, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002